



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला बुधवार 16 नवम्बर, 2011 / 25 कार्तिक, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवम् उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 नवम्बर, 2011

संख्या : एफडीएस-ए (3)-1/2004-लूज.-इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एफडीएस-ए (3)-1/2004-लूज, तारीख 20.10.2011 द्वारा हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को विरचित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी, और जिसे राजपत्र(असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 22.10.2011 को प्रकाशित किया गया था;

और उक्त अधिसूचना में कतिपय विसर्गितियां पाई गई हैं तथा सरकार इसे विखंडित करना चाहती है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1968 की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त अधिसूचना को विखंडित करती है और निम्नलिखित नई शुद्धकृत अधिसूचना जारी करती है; अर्थात्

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 (क) "अधिनियम" से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 अभिप्रेत है;
 (ख) "प्ररूप" से अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट समुचित प्ररूप अभिप्रेत है ;
 (ग) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ; और
 (घ) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं: वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

(3) **बाट और माप विनिर्माता, मरम्मतकर्ता और व्यौहारी का अनुज्ञापन.**—(1) बाट और माप में, यथास्थिति, विनिर्माता या मरम्मतकर्ता या व्यौहारी का व्यवसाय चलाने के लिए आशयित प्रत्येक व्यक्ति अनुज्ञप्ति को जारी करने के लिए अनुसूची 2 क में प्ररूप पर नियन्त्रक को आवेदन करेगा।

(2) नियन्त्रक उप नियम (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, अपना यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु समस्त शर्तों को पूरा करता है, कैलेण्डर वर्ष के लिए अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट फीस की प्राप्ति के पश्चात्, अनुसूची-3 में प्ररूप पर अनुज्ञप्ति जारी करेगा, जिसे पांच वर्षों की अवधि के लिए एक समय पर नवीकृत किया जा सकेगा।

(3) उप नियम (1) के अधीन अपनी अनुज्ञप्ति को नवीकृत करवाने का इच्छुक प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के अवसान से पूर्व, तीस दिन के भीतर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को अनुसूची-2 ख में प्ररूप पर आवेदन करेगा। अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट फीस की प्राप्ति पर अनुज्ञप्ति को नवीकृत कर सकेगा :

परन्तु आवेदक द्वारा अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट दरों पर दुगुनी फीस तभी संदेय होगी यदि उसे अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि के अवसान के पश्चात् तीस दिन की अवधि के भीतर, अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा नवीकरण हेतु आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

(4) अनुज्ञप्ति में फेरबदल/या अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए संदेय फीस वही होगी, जो अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट है।

(5) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माताओं, व्यौहारियों और मरम्मतकर्ताओं का एक रजिस्टर अनुसूची-5 में प्ररूप पर बनाए रखेगा।

(6) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रत्येक विनिर्माता, व्यौहारी या मरम्मतकर्ता, अनुज्ञप्ति के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार कार्यशाला, उपस्करों, औजारों और रजिस्टर को बनाए रखेगा।

(7) इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त प्रत्येक मरम्मतकर्ता, प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए सरकार को अनुसूची-6 में यथाविनिर्दिष्ट नियत जमा (रसीद/प्राप्ति)(सावधि जमा रसीद/प्राप्ति) या मांग पर जमा रसीद के रूप में प्रतिभूति निक्षेप करेगा।

(8) इन नियमों के अधीन जारी या नवीकृत की गई प्रत्येक अनुज्ञप्ति उस परिसर के सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी, जहां पर अनुज्ञप्तिधारी अपना व्यवसाय चलाता है।

(9) इन नियमों के अधीन जारी या नवीकृत की गई अनुज्ञप्ति का न तो विक्रय हो सकेगा और न ही अन्तरण हो सकेगा।

4. **अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अभिलेखों का रखा जाना.**—इन नियमों के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची-7 में प्ररूप पर अभिलेखों और रजिस्ट्रों को बनाए रखेगा और ऐसी कालिक रिपोर्ट/विवरण भी प्रस्तुत करेगा, जैसी नियन्त्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

5. **प्रदान की गई अनुज्ञप्ति का निलम्बन और रद्दकरण.**—(1) यदि अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण है कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति को जारी करने के लिए या नवीकरण के

लिए आवेदन में कोई मिथ्या कथन किया है, जो अशुद्ध या मिथ्या है या जिसमें अधिनियम या किन्हीं नियमों या तद्धीन बनाए गए आदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है, तो वह ऐसी अनुज्ञप्ति को जांच पूरी होने तक निलंबित रख सकेगा :

परन्तु अनुज्ञप्ति को तब तक निलंबित नहीं किया जाएगा, जब तक अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि जहां अनुज्ञप्ति के निलंबन से तीन मास की अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं की गई है, तो ऐसा निलम्बन प्रतिसंहृत समझा जाएगा ।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जिसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित किया गया है, ऐसे निलंबन के ठीक पश्चात्, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्य करना बन्द कर देगा और तब तक व्यवसाय जारी नहीं करेगा, जब तक ऐसे निलम्बन का आदेश प्रतिसंहृत नहीं कर दिया गया हो ।

(3) उप नियम (1) के अधीन जांच पूर्ण हो जाने पर, यदि नियन्त्रक का समाधान हो गया है कि अनुज्ञप्तिधारी दोषी है, तो वह उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर देगा और अनुज्ञप्तिधारी तत्काल अपनी अनुज्ञप्ति को नियन्त्रक को सौंप देगा ।

(4) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी जिसकी अनुज्ञप्ति को उप नियम (3) के अधीन रद्द किया गया है, ऐसे रद्दकरण की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसी तारीख से तीन मास से अनधिक ऐसी और बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जैसी नियन्त्रक समुचित कारण दर्शाने पर अनुज्ञात करे, सभी बाटों या मापों का जो ऐसे रद्दकरण की तारीख को उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियन्त्रण में थे, व्ययन (निपटारा) अनुज्ञात करवा सकेगा और उसके ऐसा करने में असफल रहने की दशा में, नियन्त्रक उसी रीति में अभिग्रहण तथा व्ययन (निपटारा) करवा सकेगा, जैसी नियन्त्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

6. कतिपय मामलों में बाटों या मापों या संख्यांक (संख्या) का उपयोग.—अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के मामले के सिवाय, प्रत्येक संव्यवहार, व्यौहार या संविदा में, या संरक्षण के लिए मात्रा की घोषणा—

(क) यदि वस्तु ठोस, अर्ध-ठोस, चिपचिपा या ठोस तथा द्रव्य का मिश्रण है, तो वजन की इकाई के रूप में होगी;

(ख) यदि वस्तु का रेखीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है, तो लम्बाई की इकाई के रूप में होगी;

(ग) यदि वस्तु का क्षेत्रीय माप द्वारा विक्रय किया जाता है, तो क्षेत्र की इकाई के रूप में होगी;

(घ) यदि वस्तु द्रव्य है या उसका विक्रय घनीय माप द्वारा किया जाता है तो आयतन की इकाई के रूप में होगी ; या

(ङ) यदि वस्तु का विक्रय संख्या में किया जाता है, तो संख्यांक (संख्या) इकाई के रूप में होगी ।

7. बाटों या मापों के सत्यापन के लिए कालिक अन्तराल.—बाटों या मापों के सत्यापन के लिए कालिक अन्तराल, विधिक माप विज्ञान (साधारण) नियम, 2011 में यथाविनिर्दिष्ट के अनुसार होगा ।

8. बाटों और मापों का सत्यापन और निरीक्षण.—(1) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी बाट या माप का किसी संव्यवहार में या संरक्षण हेतु उपयोग कर रहा है, ऐसे बाट या माप को सत्यापन के लिए, विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय में या ऐसे किसी अन्य स्थान पर, जिसे विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उस तारीख को या उससे पहले, प्रस्तुत करेगा जिसको सत्यापन अपेक्षित है :

परन्तु जहां कोई बाट या माप ऐसा है जिसे उसकी अति संवेदनशीलता के कारण उसके स्थान से हटाया नहीं जा सकता या हटाया नहीं जाना चाहिए, वहां वह व्यक्ति जो ऐसे बाट या माप का उपयोग कर रहा है, उस तारीख से जिसको पुनः सत्यापन अपेक्षित है, कम से कम तीस दिन पूर्व, विधिक माप विज्ञान अधिकारी को रिपोर्ट करेगा ।

(2) जहां कोई बाट या माप ऐसा है जिसका सत्यापन/पनुः सत्यापन यथास्थान किया जाना अपेक्षित है या उसकी अति संवेदनशीलता के कारण, उसके स्थान से हटाया नहीं जाना चाहिए, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसे बाट या माप की अवस्थिति के स्थान पर उसके सत्यापन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा ।

(3) उप नियम (2) में निर्दिष्ट बाट या माप के सत्यापन के लिए उपयोक्ता ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जैसी नियन्त्रक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(4) सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया गया प्रत्येक बाट या माप अपने आप में ही पूर्ण होगा ।

(5) प्रत्येक बाट या माप, साफ-सुथरी हालत में सत्यापित किया जाएगा, और यदि आवश्यक हुआ तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी, स्वामी या उपयोक्ता से इस प्रयोजन के लिए आवश्यक व्यवस्था करने की अपेक्षा करेगा ।

(6) विधिक माप विज्ञान अधिकारी, किसी ऐसे बाट या माप का, जिसका किसी संव्यवहार में या संरक्षण के लिए उपयोग किया जा रहा है या किया जाना आशयित या संभाव्य है, निरीक्षण या परीक्षण करने के लिए अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्येक परिसर का, नियम 7 में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रायः यथासम्भव निरीक्षण कर सकेगा ।

(7) विधिक माप विज्ञान अधिकारी किसी बाट या माप पर स्टाम्प को मिटा देगा, यदि निरीक्षण के दौरान यह पाया जाता है कि —

(क) किसी बाट या माप को, जो पुनः सत्यापन के लिए देय होते हुए भी ऐसे पुनः सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है;

(ख) कोई बाट या माप, जो अधिनियम द्वारा या के अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं है :

परन्तु जहां विधिक माप विज्ञान अधिकारी की यह राय है कि ऐसे बाट या माप में खराबी या त्रुटि ऐसी नहीं है जिससे स्टाम्प को तत्काल मिटाना अपेक्षित हो, तो वह बाट या माप में पाई गई खराबी या त्रुटि से उपयोक्ता को सूचित करेगा तथा उपयोक्ता से आठ दिन की अवधि से अनधिक ऐसे समय के भीतर, खराबी या त्रुटि को हटाने के लिए कहेगा और —

(i) यदि उपयोक्ता उस अवधि के भीतर खराबी या त्रुटि को हटाने में असफल रहता है, तो स्टाम्प को मिटा देगा ; या

(ii) यदि खराबी या त्रुटि को इस प्रकार हटा दिया है कि बाट या माप अधिनियम द्वारा अथवा के अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप बन गए हैं, तो अनुसूची-9 में यथाविनिर्दिष्ट फीस को प्रभारित करने के पश्चात ऐसे बाट या माप को सत्यापित और स्टाम्पित कर देगा ।

स्पष्टीकरण.—किसी बाट या माप पर से स्टाम्प को मिटाने से, विधिक माप विज्ञान अधिकारी की ऐसे बाट या माप को अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार संपहृत करने की शक्ति को छीना या कम नहीं किया जाएगा ।

9. बाटों या मापों को स्टाम्पित करना—(1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी का परीक्षण और सत्यापन के पश्चात यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसा बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन और तदधीन बनाए गए नियमों मानकों के अनुरूप है, तो वह प्रत्येक बाट या माप को नियन्त्रक द्वारा जारी की गई एक ही प्रकार के डिजाइन की स्टाम्प से स्टाम्पित करेगा, जिसमें प्रशासनिक प्रयोजन के लिए, उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को जो उसे स्टाम्पित करता है, आबंटित संख्यांक उपदर्शित किया हुआ होगा :

परन्तु यदि किसी बाट या माप के आकार या स्वरूप के कारण उस पर स्टाम्प लगाना वांछनीय या यथा साध्य नहीं है, तो विधिक माप विज्ञान अधिकारी ऐसी कार्रवाई करेगा जैसी नियन्त्रक द्वारा लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट की जाए ।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी, प्रत्येक सत्यापित बाट या माप पर स्टाम्पन का वर्ष और उस वर्ष की तिमाही को, सिवाए उसके जब ऐसे बाट या माप के आकार या प्रकृति के कारण ऐसा करना अव्यावहारिक हो, तिमाही "क" या "ख" या "ग" या "घ" में रूप में चिन्हांकित करेगा ।

स्पष्टीकरण.—एक वर्ष चार तिमाहियों से मिलकर बना समझा जाएगा, जिसमें से प्रथम तिमाही जनवरी, फरवरी और मार्च महीनों की होगी जिसे "क" के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा, द्वितीय तिमाही अप्रैल, मई और जून महीनों की होगी जिसे "ख" के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा, तृतीय तिमाही जुलाई, अगस्त व सितम्बर मास की होगी जिसे "ग" के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा और चतुर्थ तिमाही अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर मास की होगी, जिसे "घ" के रूप में चिन्हांकित किया जाएगा ।

(3) सत्यापन और स्टाम्पन पूर्ण होने पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी, अनुसूची-8 में दिए गए प्ररूप में सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) जहां कोई सत्यापन प्रमाण-पत्र खो जाए, या नष्ट हो जाए, वहां सत्यापन प्रमाण-पत्र धारक, सत्यापन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिये उस विधिक माप विज्ञान अधिकारी को तत्काल आवेदन करेगा जिसने प्रमाण-पत्र जारी किया था। प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ 50/- रूपए की फीस संलग्न होगी।

(5) उपनियम (4) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी, आवेदक को सत्यापन प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करेगा, जिस पर "द्वितीय प्रति" चिन्हित होगा।

10. **सत्यापन के लिए फीस.**-(1) विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय में बाट या माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए देय फीस वह होगी, जो अनुसूची-9 में विनिर्दिष्ट है।

(2) यदि बाट या माप के उपयोक्ता के अनुरोध पर सत्यापन, विधिक माप विज्ञान अधिकारी के कार्यालय या शिविर कार्यालय से भिन्न किसी परिसर पर किया जाता है, तो अनुसूची-9 में विनिर्दिष्ट दर पर अतिरिक्त फीस प्रभारित की जाएगी और बाट या माप का उपयोक्ता, परिसर का निरीक्षण करने के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा किए गए व्यय का, जिसके अन्तर्गत कार्यकारी मानक और अन्य उपकरण के परिवहन और उसकी उटाई-धराई का व्यय भी है, संदत्त करेगा, जो कम से कम तीन सौ रूपए होगा:

परन्तु उप नियम (2) में यथावर्णित परिवहन और उटाई-धराई प्रभारों की लागत के सिवाए, निम्नलिखित मूल अवस्था में बाट और माप के सत्यापन और स्टाम्पन के लिए कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जाएगी,-

(i) पेट्रोलियम पदार्थों एवं अन्य द्रवों के लिए यान की टंकी (वेहिकल टैंक), पानी से भिन्न अन्य द्रवों के मीटर (फ्यूल डिस्पेन्सर, द्रवित पेट्रोलियम गैस, दूध डिस्पेन्सर), कम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस डिस्पेन्सर, गैर-स्वचालित तोल यंत्र जैसे वेब्रिजों, प्लेट फार्म मशीनें, क्रेन स्केल, स्वचालित ग्रेविमेट्रिक फिलिंग यंत्र, स्वचालित रेल वेब्रिज, असतत् योगीकरण स्वचालित तोल यंत्र, और ऐसे अन्य बाट या माप, जिन्हें उनके स्थान से हटाया नहीं जा सकता और हटाया नहीं जाना चाहिए; और

(ii) ऐसे बाट या माप के विनिर्माता या व्यौहारी के परिसर में/के बाट या माप।

(3) यदि कोई बाट या माप, विधिमान्यता अवधि की समाप्ति के पश्चात् पुनः सत्यापन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुसूची-9 में विनिर्दिष्ट दरों की आधी दर पर अतिरिक्त फीस, वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए संदेय होगी:

परन्तु यदि विलम्ब प्रशासनिक कारणों से हो और नियंत्रक द्वारा माफ किया गया हो, तो कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

(4) किसी विनिर्माता या व्यौहारी के स्टॉक में के किसी बाट या माप के, उस तारीख से जब उस पर अन्तिम बार स्टाम्पन किया गया था, नियम-7 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुनः स्टाम्पन के लिए पूर्ण फीस संदेय होगी; परन्तु यह तब जब मूल स्टाम्प मिटा न दी गई हो।

11. **फीस का संग्रहण और उसका खजाना में जमा किया जाना.**-(1) सत्यापन या पुनः सत्यापन का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, विधिक माप विज्ञान अधिकारी, सम्बन्धित व्यक्ति को उसके द्वारा देय फीस की सूचना देगा और उसे नियंत्रक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट रीति में प्राप्त करेगा और नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में उसकी रसीद जारी करेगा, ऐसी रसीद की एक प्रति अभिलेख में रखी जाएगी:

परन्तु केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इन नियमों के अधीन देय फीस की वसूली, ऐसी रीति में प्राप्त की जा सकेगी, जैसी नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिकारी, नियंत्रक द्वारा अनुमोदित प्ररूप में फीस और इन नियमों के अधीन अन्य प्रभारों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए एक रजिस्टर रखेगा, जिसे दिन प्रतिदिन भरा जाएगा।

(3) सप्ताह के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए समस्त संदाय, सरकारी खजाना में समुचित "लेखा शीर्ष" के अधीन ऐसी तारीखों या दिनों को संदत्त किए जाएंगे, जैसी नियंत्रक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए तथा उनका सत्यापित मासिक विवरण अभिप्राप्त किया जाएगा और उस आशय की सूचना नियंत्रक या उसके द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत अन्य अधिकारी को भेजी जाएगी।

12. अभिगृहीत बाटों, मापों आदि का निपटान.—(1) अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिगृहीत कोई असत्यापित बाट या माप, उस व्यक्ति को जिससे ऐसा बाट या माप अभिगृहीत किया गया था, वापस कर दिया जाएगा, यदि वह व्यक्ति अभियोग शमन के पन्द्रह दिन के भीतर उसको, अनुसूची-9 में विनिर्दिष्ट फीस, जिसमें उसकी विधिमान्यता समाप्त होने के पश्चात् की अतिरिक्त फीस भी सम्मिलित है, का संदाय करने पर पुनः सत्यापित व मोहरांकित करवा लेता है।

(2) अधिनियम की धारा 15 के अधीन अभिगृहीत कोई ऐसा बाट या माप जो किसी न्यायालय की कार्यवाहियों का विषय है, विधिक माप विज्ञान अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा न्यायालय की कार्यवाहियां समाप्त होने के पश्चात्, वह उसे अपने कब्जे में ले लेगा और न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही करेगा:

परन्तु न्यायालय के आदेशों के अभाव में, ऐसे बाट या माप का उस रीति में निपटान किया जाएगा, जैसा नियंत्रक विशेष आदेश द्वारा निदेश दें।

13. सम्यक् रूप से स्टांम्पित बाट या माप की विधिमान्यता.—(1) कोई बाट या माप, जो अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सम्यक् रूप से सत्यापित और स्टांम्पित है, या ऐसा समझा जाता है, उस राज्य के भीतर जिस में यह स्टांम्पित किया गया है, प्रत्येक स्थान पर, तब तक अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों, के अनुरूप समझा जाएगा, जब तक कि निरीक्षण या सत्यापन पर यह नहीं पाया जाता कि ऐसा बाट या माप अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित मानकों के अनुरूप नहीं रह गया है।

(2) किसी बाट या माप को, जो अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से सत्यापित और स्टांम्पित है, या ऐसा समझा जाता है, मात्र इस कारण से पुनः स्टांम्पित किया जाना अपेक्षित नहीं होगा कि उसका उपयोग, राज्य के भीतर उस स्थान से भिन्न, जहाँ इसे मूल रूप से सत्यापित और स्टांम्पित किया गया था, किसी अन्य सीमा पर किया जा रहा है :

परन्तु जहाँ किसी सत्यापित बाट या माप को जो एक स्थान पर स्थापित है, खोलकर दूसरे स्थान पर पुनः स्थापित किया जाता है, तो ऐसे बाट या माप का इस बात के होते हुए भी कि ऐसा बाट या माप नियतकालिक पुनः सत्यापन हेतु देय नहीं हुआ है, तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे बाट या माप का सम्यक् रूप से पुनः सत्यापन और स्टांम्पन नहीं करा लिया गया है।


(3) जहाँ किसी सत्यापित बाट या माप की अनुज्ञप्तिधारी मरम्मतकर्ता द्वारा या उस व्यक्ति के द्वारा, जिसके स्वामित्व या अधिकार में यह है, मरम्मत की जाती है तो, ऐसे बाट या माप का इस बात के होते हुए भी कि ऐसा बाट या माप नियतकालिक पुनः सत्यापन हेतु देय नहीं हुआ है, तब तक उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे बाट या माप का सम्यक् रूप से पुनः सत्यापन और स्टांम्पन नहीं करा लिया गया है।

14. विधिक माप विज्ञान अधिकारी की शैक्षिक अर्हताएं.—विधिक माप विज्ञान अधिकारी की शैक्षिक अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी विधिक माप विज्ञान (साधारण) नियम, 2011 में विनिर्दिष्ट हैं।

15. विधिक माप विज्ञान अधिकारी के लिए कार्यकरण या द्वितीयक मानक, उपस्कर आदि की आपूर्ति के उपबन्ध.—(1) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को कार्यकरण/द्वितीयक मानक बाट, कार्यकरण द्वितीयक मानक तुलाएं और ऐसे अन्य उपस्कर, जिसके अन्तर्गत तोल और माप के ऐसे यन्त्र भी हैं, जो नियंत्रक द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किए जाएं, उपलब्ध करवाए जाएंगे।

(2) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को ऐसे ठप्पे (डाइयाँ), पंच, पेपर सील या स्टिकर और ऐसे अन्य उपस्कर उपलब्ध करवाए जाएंगे जो सत्यापन स्टाम्प चिपकाने के लिए आवश्यक हों, जिनका डिजाइन और संख्या, नियंत्रक द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(3) प्रत्येक विधिक माप विज्ञान अधिकारी को स्टाम्प मिटाने के लिए नीचे निर्दिष्ट आठ नोक वाले तारे का उपयुक्त आकार का पंच उपलब्ध करवाया जाएगा।



16. बाटों और मापों आदि के उपयोग से संबंधित उपबंध.—(1) अपने परिसर में किसी संव्यवहार में तुला दण्ड का उपयोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस को स्टैंड पर या हुक द्वारा चने पर लटकाएगा :

परन्तु यह उपनियम फेरी लगाकर सामान बेचने वालों पर लागू नहीं होगा।

(2) प्रत्येक बाट या माप का साफ सुथरी हालत में और रोशनी की समुचित व्यवस्था में उपयोग किया जाएगा।

(3) किसी ऐसे बाट या माप को, जो यथावत् सत्यापित और स्टाम्पित किया गया है, नियंत्रक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को पूर्व सूचना दिए बिना, उसके मूल स्थान से उखाड़ा और हटाया नहीं जाएगा।

(4) किसी तोल उपकरण की यथार्थता की समुचित जांच पड़ताल सुनिश्चित करने के लिए उपयोक्ता, उपकरण की क्षमता के दसवें भाग या भार की अधिकतम एक टन क्षमता तक सम्यक् रूप से सत्यापित और स्टाम्पित बाट प्रत्येक तोल उपकरण के स्थान पर उपयोक्ता को तोल उपकरण की यथार्थता की जांच पड़ताल करने के लिए समर्थ बनाएगा :

परन्तु, नियंत्रक उस व्यापार परिसर में, जहां तोलने के एक से अधिक उपकरण हैं, बनाए रखे जाने वाले कुल सत्यापित और स्टाम्पित बाटों की संख्या विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(5) पेट्रोल/डीजल पम्पों का सही वितरण सुनिश्चित करने के लिए पम्प का फुटकर व्यापारी, पाँच लीटर/दस लीटर का सत्यापित क्षमता माप, अपने परिसर में रखेगा और सही वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन पम्प से निकासी की जाँच करेगा। किसी कम वितरण की दशा में व्यौहारी तुरन्त पम्प के द्वारा वितरण रोक देगा और सम्बन्धित विधिक माप विज्ञान अधिकारी को पुनःअंशशोधन (रिकैलिबरेटन) के लिए सूचित करेगा।

17. सत्यापन प्रमाण पत्र का प्रदर्शित किया जाना.—वह व्यक्ति, जिसे इन नियमों के अधीन सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया गया है, उस प्रमाण पत्र को उस परिसर में, जहां ऐसे बाट, माप या तोल या माप—उपकरण जिसके सम्बन्ध में प्रमाणपत्र है, उपयोग में लाए जाते हैं, सहजदृश्य स्थान में प्रदर्शित करेगा :

परन्तु फेरी लगाकर सामान बेचने वाले की दशा में, विक्रेता प्रमाण—पत्र अपने पास रखेगा :

परन्तु यह और कि यान टैंक की दशा में, सत्यापन प्रमाण—पत्र यान के साथ रखा जाएगा।

18. नियमों के उल्लंघन के लिए षास्ति.—जो कोई इन नियमों के किसी ऐसे उपबन्ध का, जिसके उल्लंघन के लिए किसी दण्ड का अधिनियम में पृथक् रूप से कोई उपबन्ध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो पाँच हजार रूपए तक का हो सकेगा।

19. **अपील का प्रपत्र और फीस.**—(1) अधिनियम और इन नियमों के अधीन प्रत्येक अपील, अनुसूची-10 में दिए गए प्ररूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति संलग्न की जाएगी, जिसके विरुद्ध अपील की गई है ।

(2) राज्य सरकार को अपील करने के लिए 500.00 रुपए की फीस का और नियंत्रक को अपील करने के लिए 200.00 रुपए की फीस का, यथास्थिति नगद रुपए द्वारा या उक्त मूल्य की कोर्ट फीस टिकट चिपकाकर, आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ।

20. **अपराधों के शमन के लिए फीस.**—अधिनियम के अधीन किए गए अपराधों के शमन हेतु फीस वह होगी, जो अनुसूची-11 में विनिर्दिष्ट की गई है, अन्यथा अधिनियम की धारा 48(1) के अधीन कोई शमन नहीं किया जाएगा ।

21. **निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) सरकार की अधिसूचना संख्या एफडीएस-ए (3)-7/91-I, तारीख 29-10-2004 द्वारा अधिसूचित और तारीख 1-12-2004 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 2004 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची-1 [नियम 6 देखें]

1. निम्नलिखित वस्तुएं, वस्तु के सामने यथादर्शित भार, माप या संख्या द्वारा विक्रीत की जा सकेंगी ।

सारणी

क्रम संख्या	वस्तु	यदि घोषणा भार, माप या संख्या या दो या उनसे अधिक के सम्बन्ध में अभिव्यक्त की जानी हैं।
(1)	(2)	(3)
1	ऐरोसाल उत्पाद	भार
2	द्रव के रूप में ऐसिड	भार या आयतन
3	संपीडित या द्रवित गैस (किन्तु द्रवित पेट्रोलियम गैस नहीं)	भार और समतुल्य आयतन उल्लिखित, तापमान और दबाव पर
4	मक्खन (जिसके अन्तर्गत मूंगफली का मक्खन भी है), पनीर, दही, घी	भार
5	विद्युत केबिल	लम्बाई या भार
6	विद्युत तार	लम्बाई या भार
7	बाड़ लगाने की तार	लम्बाई या भार
8	सुगन्ध रहित केश तेल	भार या आयतन
9	फल और सब्जियां	संख्या या भार
10	भट्टी का तेल	भार या आयतन
11	अलसी का तेल और अन्य वनस्पति तेल	भार या आयतन
12	भारी अवशिष्ट ईंधन तेल	भार
13	औद्योगिक डीजल ईंधन	आयतन
14	मधु, माल्ट-सार, गोल्डन सिरप ट्रीकल	भार
15	आइसक्रीम और अन्य तत्सदृश हिमशीतित उत्पाद	भार या आयतन
16	द्रव रसायन	भार या आयतन

17	द्रवित पेट्रोलियम गैस	भार
18	कील, लकड़ी के पेच	संख्या या भार
19	पेन्ट(पेस्ट पेन्ट या ठोस पेन्ट से भिन्न)वार्निश और वार्निश स्टेन्स, इनेमल	आयतन
20	पापड़	संख्या और भार
21	पेस्ट पेन्ट/ठोस पेन्ट	भार
22	रसगुल्ला, गुलाब जामुन और अन्य मीठी निर्मितियां	भार
23	तैयार वस्त्र (रेडीमेड गार्मेन्ट)	संख्या और आकार
24	सभी प्रकार के सॉस	भार
25	टायर और ट्यूब	संख्या
26	सूत	भार या सूत की लम्बाई

अनुसूची-2 "क"
[नियम 3 (1) देखें]
प्ररूप-एल.एम.-1

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के विनिर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप]

सेवा में,

क्रम संख्या	आवेदक द्वारा भरा जाएगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3

1. विनिर्माता समुत्थान(कनसर्न) का नाम जिसके लिये अनुज्ञप्ति वांछित है-
2. समुत्थान का पूरा पता। क्या परिसर स्वामित्व में/ किराए पर/पट्टे पर लिया गया है/लीव लाईसैंस सम्यक् रूप से दस्तावेजों द्वारा समर्पित
3. कर्मशाला/कारखाना के स्थापन की तारीख --
4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदार (भागीदारों) तथा लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)-
5. कारखाने/दुकान/प्रतिष्ठान/नगरपालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति की रजिस्ट्रीकरण की तारीख और वर्तमान संख्या-
6. वर्तमानतः विनिर्माण क्रियाकलापों की प्रकृति-
7. विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित तोल और माप की किस्म, अर्थात् :
 - (i) तोल
 - (ii) माप
 - (iii) तोल के उपकरण
 - (iv) माप के उपकरण
 प्रत्येक मामले में ब्योरे सहित-
8. नियोजित व्यक्तियों/नियोजित किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या -----
 - (i) कुशल
 - (ii) अर्ध कुशल

- (iii) अकुशल
(iv) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त विशेषज्ञ
9. विनिर्मित किए जाने वाले बाटों और मापों पर ठप्पा लगाए — — — — —
जाने के लिए आषायित मोनोग्राम या व्यापार चिन्ह—
10. स्वामित्वाधीन मशीनरी, औजार, उपसाधन जो बाटों, मापों आदि — — — — —
के विनिर्माण के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, के विवरण
11. संधानशाला/कर्मशाला में सुविधाओं की व्यवस्थाओं का विवरण — — — — —
क्या स्वामित्व में, या दीर्घ कालिक पट्टे पर है, आदि— — — — —
12. महत्वपूर्ण उपांगों/(पार्ट्स) आदि की इस्पात ढलाई और — — — — —
कठोरता परीक्षण के लिए सुविधाएं या अन्य संसाधन—
13. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता — — — — —
14. सरकार या वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण का ब्यौरा। — — — — —
यदि ऐसा है तो विवरण दीजिए —
15. बैंकों का नाम, यदि कोई हो — — — — —
16. मूल्य परिवर्धित कर/विक्रय का रजिस्ट्रीकरण संख्या/— — — — —
केन्द्रीय विक्रय कर संख्या/व्यवसाय
कर रजिस्ट्रीकरण संख्या/आय कर संख्या —
17. क्या आपने इससे पहले भी विनिर्माता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन — — — — —
किया है ? यदि हाँ, तो कब और क्या परिणाम हुआ ? — — — — —
18. (क) क्या विनिर्मित की जाने वाली प्रस्तावित मद (मदों) को राज्य के — — — — —
अन्दर या राज्य के बाहर अथवा दोनों जगह विक्रय किया जाएगा ?— — — — —
- (ख) भारत सरकार से प्राप्त नमूना अनुमोदन का विवरण। — — — — —
- (ग) अपने उत्पाद का नमूना, जिसके लिए अनुज्ञप्ति चाहते हैं,
निरीक्षण के लिए कब प्रस्तुत करेंगे ?

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अधिसूचित अनुज्ञप्ति फीस अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

तारीख:.....

.....
हस्ताक्षर और पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन की प्राप्ति की तारीख :

आवेदन की क्रम संख्या :

निरीक्षण की तारीख :

निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति :

स्थान.....

तारीख:

.....
निरीक्षण अधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का अन्तिम आदेश

अनुज्ञप्ति स्वीकृत/अस्वीकृत की जाती है।

अनुज्ञप्ति संख्या.....
.....तक विधिमान्य।

स्थान.....
तारीख:.....

.....
हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-2 क
[नियम 3 (1) देखें]
प्ररूप-एल.आर.-1

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के मरम्मतकर्ताओं के रूप में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन]

सेवा में,

क्रम संख्या	आवेदकों द्वारा भरा जाएगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणियां
1	2	3

1. अनुज्ञप्ति चाहने वाले समुत्थान का नाम
2. कर्मशाला का पूरा पता
3. (क) समुत्थान का पूरा पता। क्या परिसर स्वामित्व में/किराए पर/पट्टे पर लिया गया है सम्यक् रूप से दस्तावेजों द्वारा समर्थित।
(ख) स्थापना की तारीख :
4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों तथा लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)–
5. दुकान/ समुत्थान/चालू नगरपालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख
6. व्यवसाय कर/आयकर रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि, यदि कोई है
7. मरम्मत किए जाने वाले प्रस्तावित बाटों और मापों की किस्म
8. क्षेत्र जिसमें आप कार्य करना चाहते हैं
9. इस कार्य क्षेत्र में अपना पूर्व अनुभव बताएं
10. नियोजित/नियोजन किए जाने वाले प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या
(i) कुशल
(ii) अर्ध कुशल
(iii) अकुशल
(iv) कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारी
11. उपलब्ध मशीनरी/औजारों/उपसाधनों का विवरण

12. विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता है
13. क्या आपके पास उधार/परीक्षण बाट आदि का पर्याप्त.....
स्टाक है ? ब्योरे दीजिए
14. क्या आपने इसके पूर्व मरम्मतकर्ता अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है ?
यदि हां, तो कब और उस आवेदन का क्या हुआ ?

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किये गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अधिसूचित अनुज्ञप्ति फीस अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

तारीख.....

.....
हस्ताक्षर और पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन की प्राप्ति का तारीख :

आवदे न की क्रम संख्या :

निरीक्षण की तारीख :

निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति :

स्थान.....

तारीख.....

.....
निरीक्षण अधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का अन्तिम आदेश

अनुज्ञप्ति स्वीकृत/अस्वीकृत की जाती है।

अनुज्ञप्ति संख्या.....

.....तक विधिमान्य

स्थान.....

तारीख.....

.....
हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-2 क
[नियम 3 (3) देखें]
प्ररूप-एल.डी.-1

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के व्यौहारी के रूप में
अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन]

सेवा में,

-----,

क्रम संख्या	आवेदक द्वारा भरा जाएगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3
1.	अनुज्ञप्ति चाहने वाले समुत्थान/दुकान/व्यक्ति का नाम
2.	समुत्थान आदि का पूरा पता
3.	स्थापन की तारीख :
4.	स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों तथा लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)-
5.	दुकान/समुत्थान/चालू नगरपालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति की संख्या और तारीख:
6.	विक्रय के लिए वर्तमान में प्रस्तावित बाटों और मापों का प्रवर्ग-
7.	मूल्य परिवर्धित कर/केन्द्रीय विक्रय कर/व्यवसाय कर/आय कर/विक्रय कर/रजिस्ट्रीकरण की संख्या
8.	क्या आप बाटों आदि का राज्य/देश से बाहर के स्थानों से आयात करना चाहते हैं ? यदि हां, तो उनकी पूर्ति का स्रोत बताएं। (विनिर्माता के व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम के ब्योरे और उसकी अनुज्ञप्ति संख्या दीजिए) और उपलब्ध करवाएं-
	(क) बाटों और मापों के आयातकर्ता की रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि कोई है;
	(ख) भारत में आयात करने के लिए केन्द्रीय सरकार का नमूना अनुमोदन
9.	क्या आपने कभी इस राज्य में या अन्यत्र व्यौहारी के अनुज्ञप्ति के लिए पहले भी आवेदन किया है ? यदि हां तो ब्यौरे दीजिए।

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किए गये या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम अधिसूचित अनुज्ञप्ति फीस अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा की जाने पर सरकार को शीघ्र जमा करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

तारीख.....

.....
हस्ताक्षर और पदनाम

राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाए

आवेदन की प्राप्ति की तारीख :
 आवदे न की क्रम संख्या :
 निरीक्षण की तारीख :
 निरीक्षण अधिकारी की संस्तुति :

.....
 निरीक्षण अधिकारी के
 हस्ताक्षर और पदनाम

अनुज्ञप्ति प्राधिकारी का अन्तिम आदेश

अनुज्ञप्ति स्वीकृत/अस्वीकृत की जाती है।
 अनुज्ञप्ति संख्या.....

.....तक विधिमान्य

स्थान.....
 तारीख.....

.....
 हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-2 ख
 [नियम 3 (3) देखें]
 प्ररूप-एल.एम.-2

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के विनिर्माता के रूप में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन]

सेवा में,

 -----,

क्रम संख्या	आवेदक द्वारा भरा जाएगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3

- विनिर्माता समुत्थान का नाम और पूरा पता, जिसके लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण वांछित है—
- विनिर्माता अनुज्ञप्ति संख्या—
- स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों तथा लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते) —
- (क) ऐसे बाटों और मापों की किस्म जिनका प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार विनिर्माण किया जाता है—
 (ख) क्या आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं ?

5. आपके द्वारा विनिर्मित बाटों और मापों पर प्रयुक्त मोनोग्राम या व्यापार चिन्ह—
6. कर्मशाला में उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे—
7. पूर्ववर्ती पाँच वर्षों में उत्पादन और विक्रय का विवरण—
8. दुकान/समुत्थान की संख्या रजिस्ट्रीकरण और तारीख—
9. मूल्य परिवर्धित कर/विक्रय कर/केन्द्रीय विक्रय व्यवसाय कर/आय कर रजिस्ट्रीकरण संख्या—

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैंने/हमने दिनांक.....को उप कोषागार/बैंक में.....रूपये (रूपयेमात्र) की अधिसूचित अनुज्ञप्ति फीस जमा कर दी है और मूल चालान इसके साथ संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

तारीख:.....

.....
हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-2 ख [नियम 3 (3) देखें] प्ररूप-एल.आर-2

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों की मरम्मतकर्ता के रूप में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन]

सेवा में, _____

क्रम संख्या	आवेदक द्वारा भरा जाएगा	निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी
1	2	3

1. अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहने वाले मरम्मतकर्ता समुत्थान/व्यक्ति का नाम और पूरा पता—
2. मरम्मतकर्ता अनुज्ञप्ति संख्या—
3. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों तथा लिमिटेड कम्पनी की दशा में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (के) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)
4. वर्तमान दुकान/समुत्थान/नगरपालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति की रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख —
5. मूल्य परिवर्धित कर/विक्रय कर/केन्द्रीय विक्रय कर/व्यवसाय कर/आय कर रजिस्ट्रीकरण संख्या—

6. (क) प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अनुसार मरम्मत
किए गए बाटों और मापों की किस्म
- (ख) क्या आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं—
7. क्षेत्र, जिसमें आप क्रियाशील हैं—
8. क्या आपके पास उधार/परीक्षण बाटों आदि का पर्याप्त स्टॉक है
9. स्टाम्पन की विशिष्टियों सहित ब्यौरे दीजिए—

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का भी अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैंने/हमने तारीख.....को उप कोषागार/बैंक में.....रूपये (रूपये.....
.....मात्र) की अधिसूचित अनुज्ञप्ति फीस जमा कर दी है और मूल चालान इसके साथ संलग्न है।

ऊपर दी गई समस्त सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

तारीख:.....

.....
हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-2 (ख)

[नियम 3 (3) देखें]

प्ररूप-एल.डी.-2

[विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाटों और मापों के व्यौहारी
के रूप में अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन]

सेवा में,

क्रम टिप्पणी संख्या	आवेदक द्वारा भरा जायगा	निरीक्षण अधिकारी की
---------------------------	------------------------	---------------------

1

2

3

1. अनुज्ञप्ति का नवीकरण चाहने वाले स्थापन/दुकान/ व्यक्ति
का नाम -

2. व्यौहारी की अनुज्ञप्ति संख्या-

3. स्थापना की तारीख—
4. स्वत्वधारी (स्वत्वधारियों) और/या भागीदारों तथा लिमिटेडकम्पनी की दशा में प्रबन्ध निदेशक (निदेशकों) का (क) अपने पिता/पति के नाम के साथ नाम और पता (पते)
5. वर्तमान दुकान/स्थापन/वर्तमान नगरपालिका व्यवसाय अनुज्ञप्ति का रजिस्ट्रीकरण नम्बर और तारीख:
6. वर्तमानतः बेचे जाने वाले बाटों और मापों का प्रवर्ग—.....
7. मूल्य परिवर्धित कर/विक्रय कर/केन्द्रीय विक्रय कर/ व्यवसाय कर/आय कर रजिस्ट्रीकरण की संख्या—
8. क्या आप राज्य/देश के बाहर के स्थानों से बाटों और मापों आदि..... का आयात करना चाहते हैं ? यदि हां, तो राज्य (राज्यों)/देश (देशों) से आपूर्ति के स्रोत इंगित करें।
(विनिर्माता के व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम का ब्योरा और उसकी अनुज्ञप्ति संख्या दीजिए)

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 और हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 को पढ़ लिया है और मैं/हम उनका और उनके अधीन जारी किए गए प्रशासनिक आदेशों और अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हं।

मैंने/हमने तारीख.....को उप कोषागार/बैंक में..... रूपये (रूपय.....मात्र) की अधिसूचित अनुज्ञप्ति फीस जमा कर दी है और मलू चालान इसके साथ संलग्न हैं।

ऊपर दी गई सभी सचू ना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है।

स्थान.....

तारीख:.....

.....
हस्ताक्षर और पदनाम

अनुसूची-3

[नियम 3 (2) देखें]

अनुज्ञप्ति प्ररूप

प्ररूप-एल.एम.-3

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

बाटों, मापों, तोल या माप के उपकरणों के विनिर्माण के लिए अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या.....

वर्ष

1. विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक एतद्द्वारा..... को
..... को
(पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) निम्नलिखित के विनिर्माण के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान करते हैं :-

(यहां उन बाटों, मापों, ताले के उपकरणों या माप के उपकरणों के व्यौरे दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा विनिर्मित किए जाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है।)

2. यह अनुज्ञप्ति ऊपर नामित पक्षकार के लिए-----में अवस्थित उसकी कर्म शाला के सम्बन्ध में विधिमान्य है।
3. यह अनुज्ञप्ति.....सेतक विधिमान्य है।
4. विनिर्माता नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्दकी जा सकेगी।
5. विनिर्माता द्वारा उपयोग किया जाने वाला व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम निम्नलिखित रूप में है :-

(मोहर)

स्थान.....

तारीख:.....

(हस्ताक्षर)

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान
हिमाचल प्रदेश

टिप्पणी.—फर्म की दशा में उसका नाम और कारबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैरा-1 में दिए जाने चाहिए।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है, —
 - (क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा;
 - (ख) समय-समय पर संशोधित अधिनियम या नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उत्प्रेरित करेगा—;
 - (ग) इस अनुज्ञप्ति को उस परिसर के, जिससे इसका सम्बन्ध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा;
 - (घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाए।
 - (ङ) कारबार के बन्द होने की दशा में और/या अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने पर अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा।
 - (च) यथास्थिति, विनिर्मित और राज्य में प्रयो के उद्देश्य के लिए बाटों, मापों या तोल या माप के उपकरणों को विक्रय से पूर्व सत्यापन और स्टाम्पन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
 - (छ) नियमों के अधीन यथाअपेक्षित इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के अवसान के तीस दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करेगा।
2. इस अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिन्हें अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है।

नवीकरण प्रविष्टियां
अनुसूची-3

चालू संख्या.....तारीख वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	चालू संख्या..... तारीख..... वर्षके लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।
चालू संख्या.....तारीख वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	चालू संख्या.....तारीख वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।
चालू संख्या.....तारीख वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	चालू संख्या.....तारीख वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया। (मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।

अनुसूची-3
[नियम 3 (2) देखें]

अनुज्ञप्ति प्ररूप
प्ररूप-एल.आर.-3

हिमाचल प्रदेश सरकार
विधिक माप विज्ञान नियंत्रक कार्यालय

बाटों, मापों, तोल के उपकरणों या माप के उपकरणों की मरम्मत के लिये अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति संख्या वर्ष.....

- विधिक माप विज्ञान नियंत्रक एतद्वारा-----
-----को
(पक्षकार या पक्षकारों के नाम और पते) निम्नलिखित की मरम्मत के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करते हैं :-

(यहां उन बाटों, मापों, तोल के उपकरणों या माप के उपकरणों के ब्यौरे दीजिए, जिन्हें पक्षकार द्वारा मरम्मत किए जाने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है।)
- यह अनुज्ञप्ति ऊपर नामित पक्षकार के लिए -----
-----में अवस्थित उसकी कर्मशाला के सम्बन्ध में विधिमान्य है।
- यह अनुज्ञप्ति.....सेतक विधिमान्य है।
- मरम्मतकर्ता नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसकी अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।

5. पक्षकार को नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में बाटों, मापों, तोल या माप के उपकरणों की मरम्मत करने के लिए अनुज्ञप्ति दी जाती है :-

----- (मोहर)

स्थान.....

तारीख:.....

(हस्ताक्षर)

नियंत्रक

विधिक माप विज्ञान

हिमाचल प्रदेश

टिप्पणी.—फर्म की दशा में उसका नाम और कारबार में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम पैरा-1 में दिए जाने चाहिए।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है ,—
 - (क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा—;
 - (ख) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न उत्प्रेरित करेगा—;
 - (ग) इस अनुज्ञप्ति को उस परिसर के जिससे इसका सम्बन्ध हो, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा—;
 - (घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाए—;
 - (ङ) कारबार के बन्द होने की स्थिति में और/या अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने पर अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा।
 - (च) (i) सम्यक् रूप से मरम्मत किए गए, यथास्थिति, बाटों, मापों या तोल या माप के उपकरणों को उपयोक्ता को परिदत्त करने से पूर्व नियम 14 (1) में विनिर्दिष्ट सत्यापन ओर स्टाम्पन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
(ii) बाटों, मापों या तोल या माप के उपकरणों को, यदि उनका सत्यापन देय होने की तारीख से पूर्व ठीक/मरम्मत करने की दशा में और जहां इस प्रक्रिया के दौरान और विधिक माप विज्ञान अधिकारी की सत्यापन स्टाम्प मिट जाती है, अलग हाँ जाती है या टूट जाती है, तो उसे उपयोक्ता को देने से पूर्व सम्यक् रूप से मरम्मत करते हुए पुनः सत्यापन और स्टाम्पन के लिए विधिक माप विज्ञान अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।
 - (छ) नियमों की अधीन यथा अपेक्षित इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के अवसान के तीस दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करेगा ।
2. इस अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित की जाती है, तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिन्हें अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई है ।

4. व्यौहारी नीचे अंकित शर्तों का अनुपालन करेगा। यदि वह उनमें से किसी एक का भी अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसका अनुज्ञप्ति रद्द किया जा सकेगा।

(मोहर)

तारीख

स्थान

(हस्ताक्षर)
नियंत्रक विधिक माप विज्ञान
हिमाचल प्रदेश।

अनुज्ञप्ति की शर्तें

1. वह व्यक्ति जिसके पक्ष में यह अनुज्ञप्ति जारी की जाती है; —

- (क) अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त नियमों के समस्त सुसंगत उपबन्धों का अनुपालन करेगा—;
- (ख) अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त, नियमों के उपबन्धों के किसी अतिलंघन को न तो प्रोत्साहित करेगा और न ही उत्प्रेरित करेगा—;
- (ग) इस अनुज्ञप्ति को उस परिसर के, जिससे इसका सम्बन्ध है, किसी सहजदृश्य भाग में प्रदर्शित करेगा—;
- (घ) ऐसे किसी सामान्य या विशेष निर्देश का अनुपालन करेगा जो विधिक माप विज्ञान नियंत्रक द्वारा दिया जाए —;
- (ङ) कारबार के बन्द होने की स्थिति में और/या अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने पर अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा।
- (च) नियमों के अधीन यथा अपेक्षित इस अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता के अवसान के तीस दिन के भीतर आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (छ) किसी अमानक बाट या माप को न तो बेचेगा, न बिक्री के लिए प्रस्तुत करेगा, न प्रदर्शित करेगा, और न ही कब्जे में रखेगा।

2. इस अनुज्ञप्ति के जारी करने के पश्चात् विहित प्रत्येक शर्त, यदि राजपत्र में अधिसूचित की जाए तो उन व्यक्तियों पर आबद्धकर होगी जिन्हें अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।

नवीकरण प्रविष्टियां

बाटों, मापों, तोल के उपकरणों या माप के उपकरणों के व्यौहारी के लिए अनुज्ञप्ति

चालू संख्या.....तारीख	चालू संख्या..... तारीख.....
वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।	वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।
(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।
चालू संख्या.....तारीख	चालू संख्या.....तारीख
वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।	वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।
(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।
चालू संख्या.....तारीख	चालू संख्या.....तारीख
वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।	वर्ष.....के लिए नवीकृत किया गया।
(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।	(मोहर) विधिक माप विज्ञान नियंत्रक।

अनुसूची-4

[नियम 3(2) और (3)(3) देखिए]

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

बाटों और मापों के विनिर्माताओं, मरम्मतकर्ताओं या व्यौहारियों के लिए अनुज्ञप्ति और नवीकरण फीस

(1) अनुज्ञप्ति जारी करने/अनुज्ञप्ति नवीकरण के लिए—

(i) विनिर्माता	रुपए 2000.00 प्रति वर्ष
(ii) मरम्मतकर्ता	रुपए 500.00 प्रति वर्ष
(iii) व्यौहारी	रुपए 500.00 प्रति वर्ष
(2) अनुज्ञप्ति में परिवर्तन	100.00 रुपए
(3) अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए	100.00 रुपए

अनुसूची-5

[नियम 3 (5) देखें]

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

बाटों, मापों, तोल/माप के उपकरणों के अनुज्ञप्ति प्राप्त विनिर्माताओं/मरम्मतकर्ताओं/व्यौहारियों का रजिस्टर

का कार्यालय

अनुज्ञप्ति संख्या	जारी करने/ नवीनीकरण की तारीख	विनिर्माता/मरम्मतकर्ता/ व्यौहारी का नाम और पूर्ण पता	स्थान जहां कर्मशाला/कारखाना स्थित है	विनिर्मित/मरम्मत की जाने वाली वस्तुएं/विक्रीत वस्तुएं
1	2	3	4	5
प्रयुक्त व्यापार चिन्ह/मोनोग्राम	अनुज्ञप्ति के रद्दकरण से सम्बन्धित आदेश	अपील का परिणाम	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर	टिप्पणी
6	7	8	9	10

टिप्पण.—स्तम्भ(4) व्यौहारियों को लागू नहीं होता है। स्तम्भ (6) मरम्मतकर्ताओं और व्यौहारियों को लागू नहीं होता है।

अनुसूची-6

[नियम 3 (7) देखें]

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

अनुज्ञप्तिधारी मरम्मतकर्ताओं द्वारा जमा किया जाने वाला प्रतिभूति निक्षेप

तोल और माप के उपकरणों सहित बाटों और मापों के मरम्मतकर्ता—2500.00रुपए

अनुसूची-7

[नियम 4 देखें]

प्ररूप एल0एम0-4

गाउँ और मापों के विनिर्माताओं द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

1- विनिर्माता का नाम और पता-.....

2- गाँट या माप का विवरण.....

3- (i) विनिर्माता अनुज्ञापित की संख्या.....

(ii) अनुज्ञापित जारी किए जाने की तारीख.....

(iii) अनुज्ञापित की विधिमन््यता की अवधि.....

4. अनुज्ञापित को निगमिधत या प्रतिसंहत करने वाला आदेश, यदि कोई हो, की विधिसूचियाँ :

1	क्रम संख्या	माप	पूर्व माप का अधिकृत स्तक	माप के दौरान विनिर्माता मात्रा (परिमाण)	5
2					

राज्य के भीतर विक्रय किया गया	राज्य के बाहर विक्रय किया गया	कूल विक्रय (6+9)	अतिशेष (5-11)	13
	विक्रय का नाम मदों की संख्या	विक्रय प्रमाण बाउचर की संख्या और तारीख		
6	संख्या	संख्या	संख्या	7
7	विक्रय की बाउचर की संख्या और तारीख	संख्या	संख्या	8
8	राज्य का नाम	विक्रय मदों की संख्या	संख्या	9
9	विक्रय का नाम मदों की संख्या	विक्रय प्रमाण बाउचर की संख्या और तारीख	संख्या	10
10	संख्या	संख्या	संख्या	11
11	संख्या	संख्या	संख्या	12
12	संख्या	संख्या	संख्या	13

अनुसूची-7
[नियम 4 देखें]

प्ररूप एल0आर0-4

गाउँ और मापों के सम्बन्ध में मरम्मतकर्ता द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

मरम्मतकर्ता का नाम और पता.....

अनुज्ञापित संख्या.....

1	क्रम संख्या	तारीख	उपयोक्ता का नाम जिससे प्राप्त हुआ है	3
2				
3	उपयोक्ता की संख्या	उपयोक्ता की तारीख	उपयोक्ता की संख्या	4
4	उपयोक्ता की संख्या और तारीख	उपयोक्ता की संख्या और तारीख	उपयोक्ता की संख्या और तारीख	5
5	उपयोक्ता की संख्या	उपयोक्ता की संख्या	उपयोक्ता की संख्या	6
6	मरम्मत प्रमाण की संख्या	मरम्मत प्रमाण की संख्या	मरम्मत प्रमाण की संख्या	7
7	मरम्मत प्रमाण की संख्या	मरम्मत प्रमाण की संख्या	मरम्मत प्रमाण की संख्या	8
8	मरम्मत प्रमाण की संख्या	मरम्मत प्रमाण की संख्या	मरम्मत प्रमाण की संख्या	9
9	मरम्मत प्रमाण की संख्या	मरम्मत प्रमाण की संख्या	मरम्मत प्रमाण की संख्या	10

अनुसूची-7
[नियम 4 देखें]
प्ररूप एल0डी0-4

बाटों, मापों के सम्बन्ध में व्यौहारी द्वारा रखा जाने वाला रजिस्टर

1. व्यौहारी का नाम और पता -----
2. बाट या माप का विवरण -----
3. (i) व्यौहारी की अनुज्ञप्ति संख्या -----
(ii) अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की तारीख -----
(iii) अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता की अवधि -----
4. अनुज्ञप्ति के निलम्बन या प्रतिसंहत करने वाला आदेश, यदि कोई हा, की विशिष्टियां-----
5. बाट या माप का प्रवर्ग (प्रवर्ग क या ख) -----

क्रम संख्या	मास	पूर्व मास का अविक्रीत टॉक	मास के दौरान राज्य के भीतर से लाया गया	मास के दौरान राज्य के बाहर से लाया गया	कुल (3+4+5)		
1	2	3	4	5	6		
राज्य के भीतर विक्रय किया गया		राज्य के बाहर विक्रय किया गया			कुल विक्रय (7+9)	अतिशेष (6-12)	टिप्पणियां
विक्रीत मदों की संख्या	प्रेषण बाउचर की संख्या या तारीख	विक्रीत मदों की संख्या	प्रेषण बाउचर की संख्या और तारीख	राज्य का नाम			
7	8	9	10	11	12	13	14

अनुसूची-8

[नियम 9 (3) देखें]

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधिक माप विज्ञान नियन्त्रक का कार्यालय

सत्यापन प्रमाण पत्र

विधिक माप विज्ञान अधिकारी का नाम.....संख्या.....

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने आज तारीखको.....के

निवासी से सम्बन्धित नीचे वर्णित बाटों, मापों आदि को सत्यापित और स्टाम्पित/अस्वीकार कर दिया है।

मात्रा (परिमाण)	अभिधान		तोल के उपकरण				माप के उपकरण	सत्यापन फीस रु0	वहन, प्रवहन, समायोजन प्रभार आदि रु0
	बाट	माप	क्षमता	वर्ग	विनिर्माता	किस्म			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

मरम्मतकर्ता के हस्ताक्षर

अगला सत्यापनतारीख को

- (i) इस प्रमाण पत्र को व्यापारिक प्रयोग के स्थान पर जहां पर बाट माप के यन्त्र उपयुक्त किए जाते हों, में सड़कवर्षय स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।
- (ii) उपरोक्त वर्णित बाट, माप सत्यापन और मोहर लगाने के पश्चात प्राप्त किए।

व्यापारी के हस्ताक्षर

विधिक माप विज्ञान अधिकारी

टिप्पण.—अस्वीकृत बाटें, मापों आदि के मामले में विधिक माप विज्ञान अधिकारी, प्रत्येक मद के विक्रेता अस्वीकृत किए जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए पृथक अस्वीकृत प्रमाणपत्र देगा।

अनुसूची-9

(नियम 8 और 10 देखें)

बाटें, मापों, और तोल तथा माप के उपकरणों के सत्यापन और सत्यापन के लिए देय फीस

1. (क) बुलियन बाट:

आम्रान	प्रति पीस फीस (₹0)
(1)	
10 लिकोग्रा	30.0
5 लिकोग्रा	20.0
2 लिकोग्रा	20.0
1 लिकोग्रा	20.0
500 ग्रा	15.0
200 ग्रा	15.0
100 ग्रा	15.0
50 ग्रा	15.0
20 ग्रा	15.0
10 ग्रा	15.0
5 ग्रा	15.0
2 ग्रा	15.0
1 ग्रा	15.0

(ख) कैंसरे बाट:

आम्रान	प्रति पीस फीस (₹0)
100 ग्रा (500 कैंसरे)	20.00
40 ग्रा (200 कैंसरे)	20.00
20 ग्रा (100 कैंसरे)	20.00
10 ग्रा (50 कैंसरे)	20.00
4 ग्रा (20 कैंसरे)	20.00
2 ग्रा (10 कैंसरे)	20.00
1 ग्रा (5 कैंसरे)	20.00
400 मिोग्रा (2 कैंसरे)	20.00
200 मिोग्रा (1 कैंसरे)	20.00
100 मिोग्रा (0.5 कैंसरे)	20.00
40 मिोग्रा (0.02 कैंसरे)	20.00
20 मिोग्रा (0.01 कैंसरे)	20.00

5.00	200 ग्राम
5.00	500 ग्राम
10.00	1 कि०ग्राम
15.00	2 कि०ग्राम
20.00	5 कि०ग्राम
20.00	10 कि०ग्राम
20.00	20 कि०ग्राम
25.00	50 कि०ग्राम
(2) प्रति पीस फीस (रु०)	(1) अज्ञान

(ख) हेममंगल, नौब टाड़प और प्रैलेलोपाइरिड लौह बाट :

5.00	1 सि०ग्राम
5.00	2 सि०ग्राम
5.00	5 सि०ग्राम
5.00	10 सि०ग्राम
5.00	20 सि०ग्राम
5.00	50 सि०ग्राम
5.00	100 सि०ग्राम
5.00	200 सि०ग्राम
5.00	500 सि०ग्राम
(2) प्रति पीस फीस (रु०)	(1) अज्ञान

(घ) चादरी धाई बाट (डिलियन से मिलन) :

5.00	1 ग्राम
5.00	2 ग्राम
5.00	5 ग्राम
5.00	10 ग्राम
5.00	20 ग्राम
5.00	50 ग्राम
5.00	100 ग्राम
5.00	200 ग्राम
5.00	500 ग्राम
10.00	1 कि०ग्राम
15.00	2 कि०ग्राम
20.00	5 कि०ग्राम
20.00	10 कि०ग्राम
(रु०) प्रति पीस फीस	अज्ञान

(बनकार)

(ग) सिंथेटिक नौब टाड़प बाट :

20.00	1 सि०ग्राम (0.005 कॅस्ट)
20.00	2 सि०ग्राम (0.01 कॅस्ट)
20.00	4 सि०ग्राम (0.02 कॅस्ट)
20.00	10 सि०ग्राम (0.05 कॅस्ट)

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 नवम्बर, 2011/25 कार्तिक, 1933

(ब) रजिस्टर में दर्ज मशीन की जाँच के लिए मानक शर्त :		
100 ग्राम	5.00	
50 ग्राम	5.00	
20 ग्राम	5.00	
10 ग्राम	5.00	
5 ग्राम	5.00	
2 ग्राम	5.00	
1 ग्राम	5.00	
अज्ञान		
अधिकतम अर्द्धय साक्ष्य प्रति 0.5/10000 के तर्जमान फीस रु 5		
अधिकतम अर्द्धय साक्ष्य प्रति 3.3/10000, 1.7/10000 और 1.0/10000 के तर्जमान फीस रु 5		
100 कि०ग्राम	75.00	50.00
200 कि०ग्राम	150.00	100.00
500 कि०ग्राम	300.00	200.00
1000 कि०ग्राम	750.00	500.00
2000 कि०ग्राम	1500.00	1000.00
5000 कि०ग्राम	3000.00	2000.00

2. क्षमता माप :

अज्ञान	(1)	प्रति पीस फीस (रु)
100 लीटर और ऊपर के अधिक		
50 लीटर		50.00
20 लीटर		20.00
10 लीटर		20.00
5 लीटर		10.00
2 लीटर		10.00
1 लीटर		10.00
500 कि० ली०		10.00
200 कि० ली०		10.00
100 कि० ली०		10.00
50 कि० ली०		10.00
20 कि० ली०		10.00
10 कि० ली०		10.00
5 कि० ली०		10.00
2 कि० ली०		10.00
1 कि० ली०		10.00
प्रथम 100 लीटर के लिए 50.00 रु तथा प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके माप के लिए 7.00 रु अधिकतम 5000.00 रु के अर्थव्यय		

3. लम्बाई माप :

अज्ञान	(1)	प्रति पीस फीस (रु)
अज्ञान		
2 मीटर		10.00

(क) अज्ञान-

1 मीटर	10.00
0.5 मीटर	20.00
1.00 मीटर (प्रत्येक सेन्टीमीटर पर ग्रेजुएटेड)	20.00
0.50 मीटर (प्रत्येक सेन्टीमीटर पर ग्रेजुएटेड)	20.00
(ख) प्लास्टिक का बना/बुना हुआ/स्टील फीता:	
शुद्धता वर्ग (1)	प्रति मीटर फीस रु० मे (2)
वर्ग- I	1.00
वर्ग- II	0.50
वर्ग- III	0.50
(ग) फोल्डिंग स्केल :	
अभिधान (1)	प्रति पीस फीस (रु०) (2)
1 मीटर	10.00
0.5 मीटर	10.00

(घ) सर्वेक्षण चेन :

अभिधान (1)	प्रति पीस फीस (रु०) (2)
30 मीटर	100.00
20 मीटर	100.00

4. बीम स्केल वर्ग (क और ख):

अभिधान (1)	प्रति पीस फीस (रु०) (2)
200 कि०ग्रा०	400.00
100 कि० ग्रा०	300.00
50 कि०ग्रा०	150.00
20 कि०ग्रा०	150.00
10 कि०ग्रा०	150.00
5 कि०ग्रा०	100.00
2 कि०ग्रा०	100.00
1 कि०ग्रा०	100.00
500 ग्राम और उससे कम	60.00

5. बीम स्केल वर्ग (ग और घ) :

अभिधान (1)	प्रति पीस फीस (रु०) (2)
1000 कि०ग्रा०	200.00
500 कि०ग्रा०	200.00
300 कि०ग्रा०	200.00
200 कि०ग्रा०	100.00
100 कि०ग्रा०	100.00
50 कि०ग्रा०	20.00
20 कि०ग्रा०	20.00
10 कि०ग्रा०	20.00

5 कि०ग्रा०	15.00
2 कि०ग्रा०	15.00
1 कि०ग्रा०	15.00
500 ग्राम और उससे कम	10.00

6. गैर-स्वचालित गैर-तोल उपकरण-यांत्रिक (एनलॉग) वर्ग III और IV :

अभिधान (1)	प्रति पीस उपकरण फीस (रु०) (2)
400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	500.00
3 टन	400.00
2 टन	400.00
1500 कि०ग्रा०	300.00
1000 कि०ग्रा०	300.00
500 कि०ग्रा०	300.00
300 कि०ग्रा०	200.00
250 कि०ग्रा०	200.00
200 कि०ग्रा०	100.00
150 कि०ग्रा०	100.00
100 कि०ग्रा०	100.00
50 कि०ग्रा०	100.00
30 कि०ग्रा०	100.00
25 कि०ग्रा०	60.00
20 कि०ग्रा०	60.00
15 कि०ग्रा०	30.00
10 कि०ग्रा०	30.00
5 कि०ग्रा०	30.00
3 कि०ग्रा०	30.00
2 कि०ग्रा०	30.00

500 ग्राम और चयन क	100.00
1 कि०ग्र०	100.00
2 कि०ग्र०	100.00
3 कि०ग्र०	100.00
5 कि०ग्र०	100.00
10 कि०ग्र०	100.00
15 कि०ग्र०	100.00
20 कि०ग्र०	100.00
25 कि०ग्र०	200.00
30 कि०ग्र०	200.00
50 कि०ग्र०	200.00
100 कि०ग्र०	200.00
150 कि०ग्र०	200.00
200 कि०ग्र०	200.00
250 कि०ग्र०	200.00
300 कि०ग्र०	200.00
500 कि०ग्र०	250.00
1000 कि०ग्र०	250.00
1500 कि०ग्र०	250.00
2 टन	500.00
3 टन	500.00
5 टन	1000.00
10 टन	1000.00
15 टन	2000.00
20 टन	2000.00
25 टन	2000.00
30 टन	2000.00
40 टन	2000.00
50 टन	2000.00
60 टन	2000.00
80 टन	2000.00
100 टन	2000.00
150 टन	2000.00
200 टन	3000.00
300 टन	3000.00
400 टन	4000.00
अज्ञान (1)	प्रति पीस चयन फीस (रु०) (2)

7. गैर-स्वातंत्र्य क्षेत्रों में चयन-इलेक्ट्रॉनिक बर्त III और बर्त IV:

500 ग्राम और चयन क	15.00
1 कि०ग्र०	15.00

8. (i) गैर-स्वचालित तोल उपकरण, यांत्रिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों, वर्ग I और वर्ग II :

क्षमता (1)	फीस (रु०) (2)
50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि०ग्रा० से अधिक	500.00
50 कि०ग्रा० से अनधिक किन्तु 10 कि०ग्रा० से अधिक	250.00
10 कि०ग्रा० से अनधिक	200.00

8. (ii) स्वचालित तोल उपकरण :

क्षमता (1)	फीस (रु०) (2)
100 टन से अधिक	4000.00
100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि०ग्रा० से अधिक	500.00
50 कि०ग्रा० से अनधिक किन्तु 10 कि०ग्रा० से अधिक	250.00
10 कि०ग्रा० से अनधिक	200.00

9. आयतनी मापक उपकरण:

(क) डिस्पेन्सिंग पम्प, प्रति पम्प

रु० 1000.00 प्रति इकाई

(ख) योगकरण काउन्टर

रु० 500.00 प्रति इकाई

(ग) अन्य उपकरण:

क्षमता (1)	फीस (रु०) (2)
100 लीटर से अधिक	प्रथम 100 लीटर के लिए 500.00 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 लीटर या उसके भाग के लिए 250.00 रुपए
100 लीटर से अनधिक किन्तु 50 लीटर से अधिक	500.00
50 लीटर से अनधिक किन्तु 20 लीटर से अधिक	250.00
20 लीटर से अनधिक	200.00

10. फलोमीटर:

वहाव गति (फ्लोरेट) 100 लीटर/मिनट तक	2000.00 रु०
वहाव गति (फ्लोरेट) 100 लीटर/मिनट से अधिक किन्तु 500लीटर/मिनट तक	3000.00 रु०
वहाव गति (फ्लोरेट) 500 लीटर/मिनट से अधिक	5000.00 रु०

11. रेखीय मापक उपकरण:

टैक्सी, आटोरिक्षा मीटर	100.00 रु०
------------------------	------------

अन्य मीटर	प्रथम 1000 मीटर या उसके भाग के लिए 50.00 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त 100.00 मीटर या उसके भाग के लिए 5.00 रुपए।
12. डाक्टरी थर्मामीटर	0.50 रुपए प्रति इकाई
13. पानी का मीटर	25 रुपये प्रति इकाई
14. पैग मापक:	
30 मि०ली०	50.00
60 मि०ली०	50.00
100 मि०ली०	50.00
15. सी०एन०जी० डिस्पेन्सर:	1000.00 रु० प्रति इकाई
16. एल०पी०जी० डिस्पेन्सर:	1000.00 रु० प्रति इकाई
17. (i) 10 कि०ग्रा० तक की क्षमता वाली काउन्टर मशीन	20.00 रु० प्रति इकाई
(ii) 10 कि०ग्रा० से अधिक की क्षमता वाली काउन्टर मशीन	50.00 रु० प्रति इकाई

अनुसूची-10
{नियम 19 देखें}

विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के आदेश के विरुद्ध अपील का प्ररूप

1. अपीलार्थी का नाम और पता—
2. विधिक माप विज्ञान अधिकारी/नियंत्रक विधिक माप विज्ञान के आदेश की संख्या और तारीख, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है—
3. क्या अपीलार्थी व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई की वांछा रखता है ?
4. अपील के आधार—

अनुसूची-11
{नियम 20 देखें}
विभिन्न अपराधों के लिए प्रशमन फीस

क्रम संख्या	धारा और अपराध की प्रकृति	शास्तिक धारा	प्रशमन फीस
1.	धारा 8(3) मानक बाट, माप या गणना से भिन्न मानक बाट, माप या गणना का उपयोग करना ।	25 अमानक बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति ।	2500 रुपए

2.	धारा 8(4) मानकों के समनुरूप बाट या माप का निर्माण, इत्यादि करना ।	27 अमानक बाट या माप के विनिर्माण या विक्रय के लिए शास्ति ।	2000 रुपए
3.	धारा 10. किसी माल,माल के वर्ग अथवा वचनबंध के संबंध में कोई संव्यवहार,व्यौहार या संविदा ऐसे बाट, माप या अंक द्वारा की जायेगी, जो विहित किया जाए ।	28 विहित मानकों के उल्लंघन में कोई संव्यवहार, व्यौहार या संविदा करने के लिए शास्ति ।	1000 रुपए
4.	धारा 11. बाट , माप या गणना की मानक ईकाइयों के अनुसार से अन्यथा, मूल्य या मूल्य में परिवर्तन की सूची उत्कथित, या घोषित करना या जारी या प्रदर्शित करना।	29 अमानक इकाइयों को कोट करने या प्रकाशित करने,आदि के लिए शास्ति ।	1000 रुपए
5.	धारा 12. किसी भी प्रकार की कोई रूढि, प्रथा, व्यवहार या पद्धति, जो किसी व्यक्ति को किसी वस्तु,चीज या सेवा से संबंधित संविदा या अन्य करार में तोल,माप या संख्या द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक या कम की उक्त वस्तु, चीज की मात्रा या सेवा की मांग करना, प्राप्त करना अथवा मांग करवाना या प्राप्त करवाने की अनुज्ञा देती है, बारे।	30 मानक बाट या माप के उल्लंघन में संव्यवहारी के लिए शास्ति ।	1000 रुपए
6.	धारा-17. विनिर्माता, व्यौहारी या मरम्मतकर्ता द्वारा अभिलेखों या रजिस्टरों का रखा जाना और मांग करने पर बाट, माप, दस्तावेज, रजिस्टर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना ।	31 दस्तावेजों, आदि के पेश न किए जाने के लिए शास्ति ।	500 रुपए
7.	धारा-18(1)पूर्व पैक की गई वस्तुओं चाहे वह विनिर्मित, पैक, विक्रित, आयात, वितरित, परिदत्त, प्रस्थापित, अभिदर्षित हो के सम्बन्ध में घोषणाओं की अनुपालना करना ।	36(1) अमानक पैकेजों का विक्रय आदि करने के लिए शास्ति ।	2500 रुपए
8.	धारा-36(2) पूर्वत पैक की गई वस्तु की अपेक्षित शुद्ध मात्रा की अनुपालना बारे चाहे वह विनिर्मित एवं आयतित अथवा पैक की गई हो ।	36(2)निर्माता द्वारा किसी वस्तु को शुद्ध मात्रा से कम डिब्बा बन्द करने लिए शास्ति	15000 रुपए
9.	धारा-23.विना अनुज्ञप्ति के बाट या माप का विनिर्माण,मरम्मत या विक्रय करना अथवा विक्रय के लिए प्रस्थापित, अभिदर्षित करने बारे या कब्जे में नहीं रखने बारे ।	45 अनुज्ञप्ति के बिना बाट और माप के विनिर्माण के लिए शास्ति।	5000 रुपए
10.	धारा-23. किसी भी बाट एवं माप को अनुज्ञप्ति के बिना मुरम्मत एवं बिक्री करने बारे शास्ति ।	46 अनज्ञप्ति के बिना बाट और माप की मुरम्मत, विक्रय, आदि के लिए शास्ति	2000 रुपए
11.	धारा-24. संव्यवहार या सुरक्षा में सत्यापित बाट या माप का उपयोग करना।	33 असत्यापित बाट या माप के उपयोग के लिए शास्ति	2000 से 5000 रुपए

12.	धारा-33. असत्यापित बाट और माप के विक्रय के लिए शास्ति ।	33 असत्यापित बाट या माप के विक्रय के लिए शास्ति ।	5000 रुपए
13.	धारा-34. अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं, आदि के विक्रय या परिदान के लिए शास्ति ।	34 अमानक बाट या माप द्वारा वस्तुओं, आदि के विक्रय या परिदान के लिए शास्ति	2000 रुपए
14.	धारा-35. अमानक बाट, माप या संख्या द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति ।	35 अमानक बाट, माप या संख्या द्वारा सेवाएं प्रदान करने के लिए शास्ति ।	2500 रुपए
15.	धारा-47. अनुज्ञप्ति से छेड़छाड़ के लिए शास्ति ।	47 अनुज्ञप्ति से छेड़छाड़ के लिए शास्ति ।	5000 रुपए
16.	धारा-53 (3) अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबन्ध ।	हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान(प्रवर्तन) नियम, 2011 की उल्लंघना के लिए शास्ति	500 रुपए

आदेश द्वारा,
प्रेम कुमार,
प्रधान सचिव, खा0, ना0 आ0एवं उप0मामले ।

[Authoritative English text of the Government notification number FDS-A (3)-1/2004-Loose Dated, Shimla-171002, the 15.11.2011 as required under Article 348 of the Constitution of India].

FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th November, 2011

No. FDS-A (3)-1/2004-Loose.—Whereas the notification for framing the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 was issued vide this department's notification No. FDS-A (3)-1/2004- Loose, dated 20.10.2011 and the same was published in the Rajpatra (Extra Ordinary)Himachal Pradesh dated 22.10.2011.

And whereas certain discrepancies have been noticed in the said notification and the Government desires to rescind the same.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 20 of the H.P. General Clause Act, 1968, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to rescind the above notification and to issue the following corrected notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,

- “Act” means the Legal Metrology Act, 2009;
- “Form” means an appropriate Form specified in the Schedules;

- (c) “Government” means the Government of Himachal Pradesh; and
 (d) “Schedule” means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Licensing of manufacturer, repairer and dealer of Weights and Measures.—

- (1) Every person intending to carry on the business of a manufacturer of or repairer of or dealer in weights and measures, as the case may be, shall make an application for the issuance of a license to the Controller on the Form in Schedule II-A.
- (2) The Controller on receipt of the application for license under sub-rule (1), shall after satisfying himself that the applicant fulfils all the conditions for the issue of license, shall issue license on Form in Schedule-III, after receipt of fee specified in Schedule-IV for the calendar year, which may be renewed for a period of five years at a time.
- (3) Every licensee under sub-rule (1) desirous to renew his license shall make an application to the licensing authority within thirty days before the expiry of the validity of the license on Form in Schedule-II B. The licensing authority may renew the license on receipt of fee specified in Schedule-IV:

Provided that double fee at the rates specified in Schedule-IV shall be payable by the applicant if he is permitted by the licensing authority to make the application for renewal within a period of thirty days after the expiry of the validity of the license.

- (4) The fee payable for the alteration of a license or for the issuance of a duplicate license shall be as specified in Schedule-IV.
- (5) The licensing authority shall maintain a register of licensed manufacturers, dealers and repairers on Form in Schedule-V.
- (6) Every manufacturer, dealer or repairer licensed under these rules shall maintain workshop, equipments, tools, registers as per the terms and conditions of the license
- (7) Every repairer licensed under these rules shall furnish a security deposit in the form of Fixed Deposit Receipt or deposit at call for each licence, to the Government as specified in Schedule-VI.
- (8) Every license issued or renewed under these rules shall be displayed at a conspicuous place in the premises where the licensee carries on business.
- (9) A license issued or renewed under these rules shall neither be salable nor transferable.

4. Records to be maintained by the licensee.—Every licensee under these rules shall maintain records and registers on Form in Schedule-VII and also submit such periodical report/returns as may be specified by the Controller.

5. Suspension and cancellation of license granted.—(1) If the licensing authority has any reason to believe that licensee has made any false statement in the application for the issuance or renewal of license, which is incorrect or false or has contravened any provision of the Act or any rules or order made there-under, he may suspend such license, pending of an inquiry:

Provided that the license shall not be suspended unless the licensee has been given a reasonable opportunity of being heard:

Provided further that where the inquiry is not completed within a period of three months of the suspension of license, the suspension shall stand revoked.

- (2) Every licensee whose license has been suspended shall, immediately after such suspension, stop functioning as such licensee and shall not resume business until the order of such suspension has been revoked.
- (3) On completion of inquiry under sub-rule (1), if the Controller is satisfied that the licensee is guilty, he shall cancel his license and the licensee shall surrender his license to the Controller forthwith.
- (4) Every licensee whose license has been cancelled under sub-rule (3) shall, within a period of thirty days from the date of such cancellation, or within such further period, not exceeding three months from such date, as the Controller may, on sufficient cause being shown, allow, dispose of the weights or measures which were in his possession, custody or control on the date of such cancellation and in the event of his failure to do so, the Controller may cause to be seized and dispose of the same in the manner as may be specified by the Controller.

6. Use of weights or measures or number in certain cases.—Except in the cases of commodities specified in Schedule I, the declaration of quantity in every transaction, dealing or contract, or for protection shall be in terms of the unit of -

- (a) weight, if the commodity is solid, semi-solid, viscous or a mixture of solid and liquid;
- (b) length, if the commodity is sold by linear measure;
- (c) area, if the commodity is sold by area measure;
- (d) volume, if the commodity is liquid or is sold by cubic measure; and
- (e) number, if the commodity is sold by number.

7. Periodical interval for the verification of weights or measures.-

The periodical interval for the verification of weights or measures shall be as specified in the Legal Metrology(General) Rules, 2011.

8. Verification and inspection of weights and measures.—(1) Every person using any weight or measure in any transaction or for protection shall present such weight or measure for verification, at the office of the legal metrology officer or at such other place as the legal metrology officer may specify in this behalf on or before the date on which the verification falls due:

Provided that where any weight or measure is such that it cannot, or should not be moved from its location due to its sensitivity, the person using such weight or measure shall report to the legal metrology officer at least thirty days in advance of the date on which the re-verification falls due.

- (2) Where any weight or measure is such that it is required to be verified/re-verified in situ or should not be moved from its location due to its sensitivity the legal metrology officer shall take necessary steps for the verification of such weight or measure at the place of its location.
- (3) For the verification of weight or measure referred to in sub-rule (2), the user shall provide such facilities as may be specified by the Controller in this behalf.
- (4) Every weight or measure presented for verification shall be complete in itself.

- (5) Every weight or measure shall be verified in a clean condition, and if necessary, the legal metrology officer shall require the owner or the user to make necessary arrangement for the purpose.
- (6) The legal metrology officer may visit, as frequently as possible during the period specified in rule 7, every premises within the local limits of his jurisdiction to inspect and test any weight or measure which is being or is intended or likely to be used in any transaction or for protection.
- (7) The legal metrology officer shall obliterate the stamp on any weight or measure, if it is found during inspection that--
- (a) any weight or measure which being due for re-verification has not been submitted for such re-verification;
 - (b) any weight or measure which does not conform to the standards established by or under the Act.
- Provided that where the legal metrology officer is of opinion that the defect or error in such weight or measure is not such as to require immediate obliteration of the stamp, he shall inform the user, of the defect or error found in the weight or measure and call upon the user to remove the defect or error within such time, not exceeding eight days and shall-
- (i) if user fails to remove the defect or error within that period, obliterate the stamp, or
 - (ii) if the defect or error is so removed as to make the weight or measure conform to the standards established by or under the Act, verify and stamp such weight or measure after charging the fee as specified in Schedule -IX.

Explanation : The obliteration of the stamp on any weight or measure shall not take away or abridge the power of the legal metrology officer to seize such weight or measure in accordance with the provisions of the Act.

9. Stamping of weights or measures.—(1) The legal metrology officer shall stamp every weight or measure, if after testing and verification, he is satisfied that such weight or measure conforms to the standards established by or under the Act and the rule made there-under, with a stamp of uniform design, issued by the Controller, which shall indicate the number allotted for administrative purpose to the legal metrology officer by whom it is stamped:

Provided that if by reason of the size or nature of any weight or measure it is not desirable or practicable to put a stamp thereon, the legal metrology officer shall take such action as may be directed by the Controller by a general or a special order in writing.

(2) The legal metrology officer shall mark the year and its quarter numbered as quarter A or B or C or D of stamping on every verified weight or measure, except when the size or nature of such weight or measure makes it impracticable.

Explanation: A year shall be deemed to consist of four quarters of which first quarter shall be of the months of January, February and March which shall be marked as A; second quarter shall be of the months of April, May and June which shall be marked as B, third quarter shall be of the months of July, August and September which shall be marked as C and fourth quarter shall be of the months of October, November and December which shall be marked as D.

(3) On completion of verification and stamping the legal metrology officer shall issue a certificate of verification on the Form in Schedule -VIII.

(4) Where a certificate of verification is lost or destroyed, the holder of the certificate of verification shall forthwith apply to the legal metrology officer who had issued the certificate, for the issue of a duplicate certificate of verification. Every such application for the issue of a duplicate certificate shall be accompanied by a fee of rupees fifty.

(5) On receipt of an application under sub-rule (4), the legal metrology officer shall issue to the applicant a duplicate copy of the certificate of verification marked as 'DUPLICATE'.

10. Fee for verification.—(1) Fees payable for verification and stamping of weight or measure at the office or camp office of the legal metrology officer shall be as specified in Schedule-IX.

(2) If, on the request of the user of weight or measure, verification is done at any premises other than the office or camp office of the legal metrology officer, an additional fee shall be charged at the rate specified in the Schedule-IX and the user of the weight or measure shall pay the expenses incurred by the legal metrology officer for visiting the premises including the cost of transporting and handling the Working Standard and other equipment subject to a minimum of rupees three hundred:

Provided that no additional fee, except the cost of transportation and handling charges as mentioned in sub-rule (2), shall be charged for verification and stamping of weights and measures in situ of,-

- (i) vehicle tanks for petroleum products and other liquids, Meter for Liquids other than Water (Fuel Dispenser, Liquid Petroleum Gas, Milk Dispensers), Compressed Natural Gas Dispensers, Non-automatic Weighing Instruments like weighbridges, platform machines, crane scale, Automatic Gravimetric Filling Instruments, Automatic Rail-weighbridge, Discontinuous Totalizing Automatic Weighing Instruments, and such other weight or measure which cannot, and should not be moved from its location; and
- (ii) weight or measure in the premises of manufacturer or dealer of such weight or measure.

(3) If a weight or measure is presented to the legal metrology officer for re-verification after expiry of the validity period, an additional fee at half the rates specified in Schedule-IX shall be payable for every quarter of the year or part thereof.

Provided that no additional fee shall be charged if the delay is due to administrative reasons and condoned by the Controller.

(4) Full fee shall be payable for re-stamping any weight or measure held in stock with manufacturer or dealer within the period specified in rule 7 from the date on which it was last stamped; provided the original stamp was not obliterated.

11. Collection of fees and deposit into the Treasury.—(1) Before commencing the work of verification or re-verification, the legal metrology officer shall inform the person concerned of the fees payable by him and shall receive the same in the manner as specified by the Controller and issue a receipt of the same on the form specified by the Controller, one copy of such receipt shall be kept on record:

Provided that fees payable by a department of the Central or State Government under these rules may be realized in such manner as may be specified by the Controller.

(2) The legal metrology officer shall maintain a register, in the form approved by the Controller for the purpose of receipt of fee and other charges under these rules, which shall be filled up on day-to-day basis.

(3) All payments received by the legal metrology officer during the week shall be paid into the Government Treasury under the appropriate Head of Account on such dates or days as may be specified by the Controller from time to time, and monthly verified statement thereof shall be obtained and an intimation to that effect be sent to the Controller or other officer authorized by him in this behalf.

12. Disposal of seized weights, measures, etc.—(1) Any un-verified weight or measure seized under section 15 of the Act shall be returned to the person from whom such weight or measure was seized if that person gets the same verified and stamped, within fifteen days from the composition of the offence, on payment of fee specified in Schedule-IX including the additional fee payable for re-verification after the expiry of the validity of the stamp.

(2) Any weight or measure seized under section 15 of the Act, which is the subject of proceedings in a court shall be produced by the legal metrology officer before the court and after conclusion of the proceedings, shall be taken in his possession and dealt with in accordance with the orders of the court:

Provided that in the absence of the orders of the court, weight or measure shall be dealt with in the manner as the Controller may by special order direct.

13. Validity of Weights or Measures duly stamped.—(1) A weight or measure which is, or is deemed to be, duly verified and stamped under the Act and rules made thereunder shall be deemed to conform to the standards established by or under the Act at every place within the State in which it is stamped unless it is found on inspection or verification that such weight or measure has ceased to conform to the standards established by or under the Act.

(2) No weight or measure which is, or is deemed to be, duly verified and stamped under the Act shall require to be re-stamped merely by reason of the fact that it is being used at any place within the State other than the place at which it was originally verified and stamped:

Provided that where a verified weight or measure, installed at one place is dismantled and re-installed at a different place, such weight or measure shall not be put into use unless it has been duly re-verified and stamped, notwithstanding that periodical re-verification of such weight or measure has not become due.

(3) Where a verified weight or measure has been repaired, whether by a licensed repairer or by the person owning and possessing the same, such weight or measure shall not be put into use unless it has been duly re-verified and stamped, notwithstanding that periodical re-verification of such weight or measure has not become due.


14. Qualifications of legal metrology officer.—(1) The qualification of the legal metrology officer shall be as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

15. Provision of supply of Working or Secondary Standards, equipment, etc. to the legal metrology officer.—(1) Every legal metrology officer shall be provided with Working

/Secondary Standard weights, Working/Secondary Standard balances, and such other equipments including weighing and measuring devices, as may be approved by the Controller from time to time.

(2) Every legal metrology officer shall be provided with such dies, punches, paper seal or sticker and such other equipments as may be necessary for affixing the verification stamp, the design and number of which are to be approved by the Controller.

(3) Every legal metrology officer shall be provided with punches of suitable sizes having eight-pointed star as shown below for obliterating stamps.



16. Provisions relating to use of weights and measure, etc.—(1) Every person using a beam scale in any transaction in his premises shall suspend the same to a stand or to a chain by a hook:

Provided that this sub-rule shall not apply to itinerant vendors.

- (2) Every weight or measure shall be used in a clean condition and in proper lighting arrangement -----.
- (3) Any weight or measure, which has been verified and stamped in situ, shall not be dismantled and removed from its original site without prior intimation to the Controller or other person authorized by him in this behalf.
- (4) To ensure a proper check of the accuracy of a weighing instrument the user shall keep at the site of each weighing instrument duly verified and stamped weights equal to one-tenth of the capacity of the instrument or maximum upto one tonne capacity of weight to enable the consumer to check the accuracy of the weighing instrument:

Provided that the Controller may specify the total number of verified and stamped weights to be maintained in trade premises where the number of weighing instruments are more than one.

- (5) To ensure proper delivery of the petrol / diesel pumps, the retail dealer of the pump shall keep a verified 5 litre or 10 litre capacity measure in his premises and check the out put from the pump every day to ensure its correct delivery. In case of any short delivery the dealer shall stop the delivery through the pump immediately and inform the legal metrology officer concerned to recalibrate the pump.

17. Certificate of verification to be exhibited.—The person to whom a certificate of verification has been issued under these rules shall exhibit the same in a conspicuous place in the premises where the weights, measures or weighing or measuring instruments to which the certificate relates are used:

Provided that in the case of itinerant vendor, the vendor shall keep the certificate with him.

Provided further that in the case of vehicle tank, the certificate of verification shall be kept with the vehicle.

18. Penalty for contravention of rules.—Whoever contravenes any provisions of these rules, for the contravention of which no punishment has been separately provided in the Act, shall be punished with fine, which may extend to five thousand rupees.

19. Form of appeal and fee.—(1) Every appeal under the Act and these rules shall be preferred on the form set out in Schedule-X, and shall be accompanied by a copy of the order appealed against.

(2) An application for appeal to State Government shall be accompanied by fees of Rs. 500/- and for appeal to Contoller shall be accomplied by fee of Rs. 200/- paid either by cash or by affixing court fee stamp for the said value, as the case may be.

20. Fee for compounding of offences.—The fee for compounding of offences committed under the Act shall be as specified in Schedule-XI otherwise compounding may not be carried out under section 48(1) of the Act.

21. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Standards of Weights and Measures (Enforcement) Rules, 2004 notified vide Government notification number FDS-A(3)-7/91-I, Dated 29th October, 2004 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh(Extra-Ordinary) dated 1st December, 2004 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been validly done or taken under these rules.

Schedule-I
(See rule 6)

1. The following commodities may be sold by weight, measure or number as show against the commodity.

TABLE

Sr. No.	Commodity	Whether declaration to be expressed in terms of weight, measure or number or two or more of them
(1)	(2)	(3)
1.	Aerosol products	weight
2.	Acids in liquid form	weight or Volume
3.	Compressed or liquefied gas (but not liquefied and pressure petroleum gas.	weight and equivalent volume at stated temperature
4.	Butter (incl. peanut butter), cheese, curd, ghee	weight
5.	Electric cables	length or weight
6.	Electric wire	length or weight
7.	Fencing wire	length or weight
8.	Hair oil, un perfumed	weight or volume

9.	Fruits and vegetables	number or weight
10.	Furnace oil	weight or volume
11.	Linseed oil and other vegetable oils.	weight or volume
12.	Heavy residual fuel oil	weight
13.	Industrial diesel fuel	volume
14.	Honey, malt extract, golden syrup treacle.	weight
15.	Ice cream and other similar frozen products.	weight or volume
16.	Liquid chemicals	weight or volume
17.	Liquid petroleum gas	weight
18.	Nails, wood screws	number or weight
19.	Paint (other than paste paints or solid paint), varnish and varnish stairs, enamels.	volume
20.	Papad	number and weight
21.	Paste paint, solid paint	weight
22.	Ressogulla, Gulabjamun and other sweet preparations.	weight
23.	Ready made garments	number and size
24.	Sauce, all kinds	weight
25.	Tyres and tubes	number
26.	Yarn	Weight or length of yarn

Schedule –II- A

[See rule 3(1)]
Form–LM–1

[Application form for licence as manufacturer of weights & measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To

1	To be filled by the Applicant 2	Comments of the inspection officer 3
1.	Name of the manufacturing concern for which licence is desired.
2.	Complete address of the concern. Whether premises are owned/rented/taken on lease/leave licence, duly supported by documents.
3.	Date of Establishment of workshop/factory.
4.	Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company
5.	The date and current registration number of factory/ shop/ establishment/ Municipal Trade licence.
6.	Nature of manufacturing activities at present.
7.	The type of weights and measures proposed to be manufactured viz :

- (i) Weights
- (ii) Measures
- (iii) Weighing Instruments
- (iv) Measuring Instruments with details in each case.
8. The number of persons employed/proposed to be employed
 - (i) Skilled
 - (ii) Semi-skilled
 - (iii) Unskilled
 - (iv) Specialist trained in the line
9. The monogram or trade mark intended to be Imprinted
on weights and measures to be manufactured.
10. Details of machinery, tools accessories, owned and
used for manufacturing weights measures etc.
11. Details of foundry/workshop facilities arranged.
Whether ownership, long term lease etc.
12. Facilities of steel casting and hardness testing of
vital parts etc or other means.
13. Availability of electric energy.
14. Details of loan received from Government or financial
Institution. If so, give details.
15. Name of bankers, if any.
16. VAT/ Sales Tax Registration Number/CST Number/
Professional Tax registration Number/IT Number.
17. Have you applied previously for a manufacturer's
licence? If so, when and with what results ?
18. (a) Whether the item (s) proposed to be
manufactured will be sold within the State or out
side the State or both.
- (b) Details of Model Approval received from
Government of India;
- (c) When can you produce for inspection samples
of your products for which licence is desired ?

To be certified by the applicant (s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licencing Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :

Date :

.....
Signature and Designation

To be filled in by Departmental Officer of the State Government

Date of Receipt of Application :

Serial Number of application :

Date of inspection :

Recommendation of Inspecting Officer :

Place :

Date :

Signature and Designation of Inspecting Officer

Final orders of Licensing Authority

Licence granted / refused :

Licence Number :

Valid till :

Place :

Date :

Signature and Designation

Schedule-IIA

[See rule 3(1)]

Form LR-1

[Application for licence as repairers of Weights & Measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To

1	To be filled by the Applicants 2	Comments of the inspection officer 3
1.	Name of the concern seeking the licence
2.	Complete address of the workshop.
3.	(a) Whether premises are owned/rented/taken. on lease dully supported by documents. (b) Date of establishment.
4.	Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.
5.	Number and date of shop/establishment/current Municipal Trade Licence.
6.	Professional Tax/IT Tax registration Number etc if any.
7.	The type of weights and measures proposed to repaired.
8.	Area in which you wish to operate.
9.	Previous experience in the line.
10.	Number of skilled staff employed or proposed to be employed: (i) Skilled (ii) Semi-skilled (iii) Unskilled (iv) Employees trained in the line
11.	Details of machinery/tools/accessories available.
12.	Availability of electric energy.
13.	Have you sufficient stock of loan/test weights. etc.? Give details.
14.	Have you applied previously for a repairer's licence? If so, When and with what results?

To be certified by the applicant(s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licensing Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :

Date :

.....
Signature and Designation

To be filled in by Departmental Officer of the State Government

Date of Receipt of Application :

Serial Number of application :

Date of inspection :

Recommendation of Inspecting Officer :

Place :

Date :

.....
Signature and Designation of Inspecting Officer

Final orders of Licencing Authority

licence granted/refused :

licence Number :

Valid till :

Place :

Date :

.....
Signature and Designation

Schedule-IIA

[See rule 3(1)]

Form LD-1**[Application Form for Licence as Dealers in Weights & Measures under the Legal Metrology Act, 2009]**

To,

	To be filled by the Applicants	Comments of the inspection officer
1	2	3

1. Name of the establishment/shop/person seeking the licence.....
2. Complete address of the establishment etc.
3. Date of establishment
4. Name (s) and address (s) of proprietors and / or partners
and Managing Director (s) in the case of Limited company.
5. Number and date of Registration Number of current
shop/establishment/Municipal Trade licence.

6. Categories of weights and measures sold/proposed
to be sold at present.
7. Registration Number of VAT/CST/Sales Tax/Professional
Tax/Income Tax.
8. Do you intend to import weights, etc. from places
outside the State/Country ? If so indicate sources of
supply. (Give details of manufacturer's trade mark/
monogram and his licence number) and provide
(a) Registration of Importer of Weights and Measures, if any
(b) Approval of model imported into India by Central Government.
9. Have you applied previously for a dealer's licence,
either in this State or elsewhere ? If so give details ?

To be certified by the applicant(s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We agree to deposit the Scheduled licence fees with Government as soon as required to do so by the Licensing Authority.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :
Date :

Signature and Designation

To be filled in by Departmental Officer of the State Government

Date of Receipt of Application :
Serial Number of application :
Date of inspection :
Recommendation of Inspecting Officer :

Place :
Date : Signature and Designation of Inspecting Officer

Final orders of Licensing Authority

licence granted/refused :
licence Number :
Valid till :

Place :
Date : Signature and Designation

Schedule- II B
[See rule 3(3)]
Form LM-2

**[Application for renewal of Licence as Manufacturer of Weights & Measures under the
Legal Metrology Act, 2009]**

To,

1	To be filled by the Applicants 2	Comments of the inspection officer 3
1.	Name and complete address of the manufacturing concern for which renewal of licence is desired.
2.	Manufacturing Licence No.
3.	Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.
4.	(a) Type of weights and measures which are manufactured as per licence granted.
	(b) Do you propose any change.
5.	The monogram or trade marks used on weights and measures manufactured by you.
6.	Details of workshop facilities available.
7.	Details of production and sales in the last 5 years.
8.	Number and date of shop/establishment Registration Number.
9.	Registration Number of VAT/Sales Tax/CST/Professional Tax/Income Tax.

To be certified by the applicant (s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We have deposited the Scheduled licence fees of Rs. (Rupees) to the Sub-Treasury/Bank on and the original challan is enclosed.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :
Date :

.....
Signature and Designation

Schedule II B
[See rule 3 (3)]
Form LR-2

[Application for renewal of Licence as repairer of Weights & Measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To,

1	To be filled by the Applicants 2	Comments of the inspection officer 3
1.	Name and complete address of the repairing concern/ person seeking renewal of the licence
2.	Repairer's Licence Number.
3.	Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.
4.	Registration Number and date of current shop/ establishment/Municipal Trade Licence.
5.	Registration Number of VAT/ Sales Tax/CST/Professional Tax/Income Tax.
6.	(a) The Type of weights and measures repaired as per licence granted.
6.	(b) Do you propose any change.
7.	Area in which you are operating.
8.	Have you sufficient stock of loan/test weights, etc.?
9.	Please give details with particulars of stamping.

To be certified by the applicant (s)

Certified that I/ We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We have deposited the Scheduled licence fees of Rs. (Rupees.....) to the Sub-Treasury/ Bank on and the original challan is enclosed.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :

Date :

.....
Signature and Designation

Schedule- IIB
[See rule 3 (3)]
Form LD-2

[Application for renewal of Licence as Dealer in Weights & Measures under the Legal Metrology Act, 2009]

To,

1	To be filled by the Applicants 2	Comments of the inspection officer 3
1.	Name of the establishment/shop/person seeking the renewal of licence.
2.	Dealer's Licence Number.
3.	Date of establishment.
4.	Name (s) and address (s) along with their father's/ husband's name of proprietor (s) and/or Partners and Managing Director (s) in the case of Limited company.
5.	Registration Number and date of shop/establishment/ current Municipal Trade Licence.
6.	Categories of weights and measures sold at present.
7.	Registration Number of VAT/ CST/Sales Tax/Professional Tax/Income Tax.
8.	Are you intending to import weights and measures etc. from places outside the State/Country? If so, indicate sources of supply from the State (s)/Country (s). (Give details of manufacturer's trade mark/ monogram and his licence number.)

To be certified by the applicant (s)

Certified that I/We have read the Legal Metrology Act, 2009 and the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 and agree to abide by the same and also the administrative orders and instructions issued or to be issued there under.

I/We have deposited the Scheduled licence fees of Rs. (Rupees.....) to the Sub-Treasury/Bank on and the original challan is enclosed.

All the information furnished above is true to the best of my/our knowledge.

Place :
Date :

.....
Signature and Designation.

Schedule -III

[See rule 3 (2)]

License Form

FORM LM-3

Government of -----**OFFICE OF THE CONTROLLER OF LEGAL METROLOGY**

Licence to manufacture, weights, measures, weighing or measuring instruments.

Licence No.....

Year

1. The Controller of Legal metrology hereby grants to
(Name and address of party or parties) a licence to manufacture the following:-
(Include details of the weights, measures, weighting instruments or measuring instruments that are licenced to be manufactured by the party).
2. The licence is valid for the party named above in respect of his workshop located at
3. This licence is valid from to
4. The manufacturer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with anyone of these, his licence is liable to be cancelled.
5. The trade mark monogram being used by the manufacturer is as under.

.....
(Signature)

Controller of legal Metrology

(Seal) Govt. of-----

Date

Place

Note: In the case of firm, its name with the names of all names of all persons having interest in the business should be given in paragraph 1.

CONDITIONS OF LICENCE

1. The person in whose favour this licence is issued shall. -
 - (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in force;
 - (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act. or the Rules amended from time to time;
 - (c) Exhibit this licence in some conspicuous part of the premises to which it relates;
 - (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
 - (e) Surrender the licence in the event of closure of business and/ or cancellation of Licence;
 - (f) Present the weights, measures, weighing or measuring instruments as the case may be manufactured and meant for use within the State, to the legal metrology officer for verification and stamping before sale;
 - (g) Submit the application for renewal of this licence as required under the rules within thirty days of expiry of the validity of the licence.
2. Every condition prescribed after the issue of this licence shall if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the licence has been granted.

Renewal entries

Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology
Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology
Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology

Schedule- III

[See rule 3 (2)]

Licence Form

FORM LR-3

GOVERNMENT OF -----
 OFFICE OF THE CONTROLLER OF LEGAL METROLOGY
 LICENCE TO REPAIR WEIGHTS, MEASURES, WEIGHING INSTRUMENTS OR
 MEASURING INSTRUMENTS

Licence No

Year

1. The Controller of legal metrology hereby grants to
 (Name and address of Party or Parties) a licence to repair the following:-
 (Include details of the types of weights, measures, weighing instruments or measuring instruments that are licenced to be repaired by the party).
2. The licence is valid for the party named above in respect of his workshop located at
3. This licence is valid from to

4. The repairer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with any one, his licence is liable to be cancelled.
5. The party is licenced to repair weights, measures, weighting and measuring instruments in the areas mentioned below -

(Signature)
Controller of Legal Metrology
(Seal) -----

Date.....

Place.....

Note: In the case of firm, its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

Conditions of Licence

1. The person in whose favour this licence is issued shall. -
 - (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in force;
 - (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act or the Rules for the time being in force.
 - (c) Exhibit this licence in some conspicuous part of the premises to which it relates;
 - (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
 - (e) Surrender the licence in the event of closure of business and/or cancellation of Licence;
 - (f) (i) Present the weights, measures, weighing or measuring instruments as the case may be duly repaired to the legal metrology officer for under taking verification and stamping as specified in rule 7 (1), before delivery to the user.
(ii) In the case of weights, measures weighing or measuring instruments, if they are serviced/repared before the date on which the verification falls due and where, in the process and the verification stamp of the legal metrology officer is defaced, removed or broken, they shall be presented duly repaired to the legal metrology officer for re-verification and stamping before delivery to the user.
 - (g) Submit the application for renewal of this licence as required under the rules within thirty days of expiry of the validity of the licence.

2. Every condition prescribed after the issue of this licence shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the licence has been granted."

Renewal Entries

Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology
Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology

Schedule- III
[See rule 3 (2)]
Licence Form
FORM LD- 3

Government of -----
Office of the Controller of legal metrology Licence to a dealer in weights, measures, weighing instruments or measuring instruments

Licence No.

Year

1. The controller of legal metrology hereby grants to(Name and address of party or parties) a licence to deal in the following (Indicate details of the types weights and measures, weights, or measuring instruments that are licenced to be dealt with by party).
2. The licence is valid for the party named above in respect of his premises located at
3. This licence is valid from To.
4. The dealer shall comply with the conditions noted below. If he fails to comply with any one of those his licence is liable to be cancelled.

(Seal)

(Signature)

Date

Controller of Legal Metrology

Place.....

Note: In the case of firm its name with the names of all persons having any interest in the business should be given in paragraph (1).

CONDITIONS OF LICENCE

1. The person in whose favour this licence is issued shall. -
 - (a) Comply with all the relevant provisions of the Act and Rules for the time being in force;
 - (b) Not encourage or countenance any infringement of the provisions of the Act. or the Rules for the time being in force;
 - (c) Exhibit this licence in some conspicuous part of the premises to which it relates;
 - (d) Comply with any general or special directions that may be given by the Controller of legal metrology;
 - (e) Surrender the licence in the event of closure of business and/or cancellation of Licence;
 - (f) Submit the application for renewal of this licence as required under the rules within thirty days of expiry of the validity of the licence.
 - (g) Not sell or offer, expose or possess for sale any non-standard weight or measure.
2. Every condition prescribed after the issue of this licence shall, if notified in the Official Gazette, be binding on the persons to whom the licence has been granted.

Renewal Entries

Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology
Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology
Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology	Current No..... Date Renewed for Seal Controller of Legal Metrology

Schedule-IV

[See rules 3 (2) and 3(3)]

Government of
Office of Controller of Legal Metrology

Licencing and renewal fees for manufacturers, repairers of dealers of weights and measures

1. **Issue of licence / renewal of licence to:**
 - (i) Manufacturers Rs. 2000/- Per Year
 - (ii) Repairers Rs. 500/- Per Year
 - (iii) Dealers Rs. 500/- Per Year
2. Alteration of License Rs. 100/-
3. Issue of Duplicate License Rs. 100/-

Schedule-V

[See rule 3 (5)]

Government of

Office of Controller of Legal Metrology

Register of licenced manufacturers/ Repairers/ Dealers of weights, measures, weighing /
measuring instruments

Office of

Licence Number	Date of issue/ renewal	Name and complete address of the manufacturer /repairer / dealer	Place where works hop/ factory is situated	Articles to be manufactured/ repaired/ sold	Trade mark/ monogram being used	Orders regarding cancellation of licence	Result of appeal	Signature of competent authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Note: Column (4) does not apply to dealers, column (6) does not apply to repairers and dealers.

Schedule- VI

[See rule 3(7)]

Government of

Office of Controller of Legal Metrology

Security deposit to be made by licensee repairer

Repairer of weights and measures including weighing
and measuring instruments.

Rs. 2500.00

Schedule-VII

[See rule 4]

Form LM-4

Register to be maintained by the manufacturers of weights and measurers.

1. Name and address of the manufacturer
2. Description of the weight or measure
3. (i) No. of the manufacturing licence
- (ii) Date on which the licence was issued
- (i) Period of validity of the licence
4. Particulars of order, if any, suspending or revoking
the licence.

S. No.	Month	Unsold within the state stock from previous month	Quantity manufactured during the month	Total 3+4	Sold within the state	
					No. of item sold	Dispatch voucher No. and date
1	2	3	4	5	6	7

Sold outside the state		Dispatch voucher no. and date	Total sold (6+9)	Balance (5-11)	Remarks
Name of the state	No. of items sold				
8	9	10	11	12	13

Schedule-VII

[See rule 4]

Form LR-4

Register to be maintained by the repairer in respect of weights and measures

Name and address of the repairer

Licence No.....

Date of Licensing

.....

S. No.	Date	Name of the user from whom received	Items and their Nos. booked for repair	Receipt No. and date of issue to the user
1	2	3	4	5

Amount of repairing charges	Amount of verification fee	Total amount charged	Date of return to the user	Remarks
6	7	8	9	10

Schedule-VII

[See rule 4]

LD-4

Register to be maintained by dealer in weights and measures.

1. Name and address of the dealer
2. Description of the weight or measure
3. (i) Dealer licence No.
 (ii) Date on which the licence was issued
- (iii) Period of validity of licence

4. Particulars of order, if any suspending or
Revoking the licence.
5. Category of weight or measure
(Category A or B)

Sr. No.	Month	Unsold stock from the previous month	Brought from within the state during the month	Brought from outside the state during the month	Total (3+4+5)
1	2	3	4	5	6

Sold within the state		Sold outside the state			Total sold (7+9)	Balance (6-12)	Remarks
No. of items sold	Dispatch voucher no. and date	No. of items sold	Dispatch voucher No. and date	Name of the state			
7	8	9	10	11	12	13	14

Schedule-VIII

[See rule 9 (3)]

Government of -----

**Office of the Controller, legal metrology,
Certificate of verification**

Name of Legal Metrology Officer

No.....

I hereby certify that I have this day verified and stamped / rejected the under mentioned weights, measurers, etc.

Belonging to Locality

Quantity	Denomination		Weighing instruments				Measuring instruments	Verification Fee Rs. P.	Carriage, conveyance, adjusting charges etc.
	Weights	Measures	Capacity	Class	Manu- facturer	Type			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of the repairer

Next Verification due on

- (i) This Certificate has to displayed conspicuously at the place of trade/use where the weights/measures are put to use.
- (ii) Weights, Measures described above received after verification & stamp.

Signature of the trader

Legal Metrology Officer

Note.—In the case of rejected weights, measures, etc the legal metrology officer shall give separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

Schedule-IX

[See rules 8 and 10]

Fee payable for verification and Stamping of Weights and Measures and Weighing and Measuring Instruments.

1 (a) Bullion Weights:

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
10 Kg.	30.00
5 Kg.	20.00
2 Kg.	20.00
1 Kg.	20.00
500 g.	15.00
200 g.	15.00
100 g.	15.00
50 g.	15.00
20 g.	15.00
10 g.	15.00
5 g.	15.00
2 g.	15.00
1g	15.00

(b) Carat Weights:

100g (500 c)	20.00
40g (200 c)	20.00
20g (100 c)	20.00
10g (50 c)	20.00
4g (20 c)	20.00
2g (10 c)	20.00
1g (5 c)	20.00
400mg (2 c)	20.00
200mg (1 c)	20.00
100mg (0.5 c)	20.00
40mg (0.02 c)	20.00
20mg (0.01 c)	20.00
10mg (0.05 c)	20.00
4mg (0.02c)	20.00
2mg (0.01 c)	20.00
1mg (0.005c)	20.00

(c) Cylindrical knob type weights:

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
10 Kg.	20.00
5 Kg.	20.00
2 Kg.	15.00
1 Kg.	10.00
500 g.	5.00
200 g.	5.00
100 g.	5.00
50 g.	5.00
20 g.	5.00
10 g.	5.00
5 g.	5.00
2 g.	5.00
1g	5.00

(d) Sheet metal Weight (other than Bullion)

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
10 Kg.	20.00
5 Kg.	20.00
2 Kg.	15.00
1 Kg.	10.00
500 g.	5.00
200 g.	5.00
100 g.	5.00
50 g.	5.00
20 g.	5.00
10 g.	5.00
5 g.	5.00
2 g.	5.00
1g	5.00

(e) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weights:

Denomination 1	Fee per piece (Rs.) 2
50 Kg.	25.00
20 Kg.	20.00
10 Kg.	20.00
5 Kg.	20.00
2 Kg.	15.00
1 Kg.	10.00
500 g.	5.00
200 g.	5.00
100 g.	5.00
50 g.	5.00

20g	5.00
10g	5.00
5g	5.00
2g	5.00
1g	5.00

(f) Standard weights for testing of high capacity weighing machines:

Denominations	Fee corresponding to Max permissible relative error 0.5/10000 in Rs.	Fee corresponding to Max permissible relative error 3.3/10000, 1.7/10000 and 1.0/10000 in Rs.
100kg	75.00	50.00
200kg	150.00	100.00
500kg	300.00	200.00
1000kg	750.00	500.00
2000kg	1500.00	1000.00
5000kg	3000.00	2000.00

2. Capacity Measures:

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
100 litre and above	Rs. 50 for the 1st 100 litre plus Rs. 7 for every additional 100 litre or part thereof subject to maximum of Rs. 5000.
50 l	50.00
20 l	20.00
10 l	20.00
5 l	10.00
2 l	10.00
1 l	10.00
500 ml	10.00
200 ml	10.00
100 ml	10.00
50 ml	10.00
20 ml	10.00
10 ml	10.00
5 ml	10.00
2 ml	10.00
1 ml	10.00

3. Length Measures:**(a) Non-Flexible –**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
2 m.	10.00
1 m.	10.00

0.5 m.	20.00
1 m. graduated (at every cm)	20.00
0.5 m. graduated (at every cm)	20.00

(b) Fabric Plastic/ Woven/Steel tapes –

Accuracy Class	Fee per metre in Rs.
1	2
Class-I	1.00
Class-II	0.50
Class-III	0.50

(c) Folding Scales –

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
1 m.	10.00
0.5 m.	10.00

(d) Surveying Chain –

Denomination	Fee per piece (Rs.)
1	2
30 m.	100.00
20 m.	100.00

4. Beam Scale Class A & B:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
200 kg.	400.00
100 kg.	300.00
50 kg.	150.00
20 kg.	150.00
10 kg.	150.00
5 kg.	100.00
2 kg.	100.00
1 kg.	100.00
500 g and below	60.00

5. Beam Scales Class C& D:

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
1000 kg.	200.00
500 kg	200.00
300 kg	200.00
200 kg	100.00
100 kg	100.00
50 kg	20.00

20 kg	20.00
10 kg	20.00
5 kg	15.00
2 kg	15.00
1 kg	15.00
500 g and below	10.00

6. Non-Automatic Weighing Instruments - Mechanical (analogue) Class III & IV :

400 t	4000.00
300 t	3000.00
200t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	500.00
3 t	400.00
2 t	400.00
1500 kg	300.00
1000 kg	300.00
500 kg	300.00
300 kg	200.00
250 kg	200.00
200 kg	100.00
150 kg	100.00
100 kg	100.00
50 kg	100.00
30 kg	100.00
25 kg	60.00
20 kg	60.00
15 kg	30.00
10 kg	30.00
5 kg	30.00
3 kg	30.00
2 kg	30.00
1 kg	15.00
500 g. and below	15.00

7. Non-Automatic Weighing Instruments - Electronic Class III & IV :

400 t	4000.00
300 t	3000.00
200t	3000.00
150 t	2000.00

100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	1000.00
3 t	500.00
2 t	500.00
1500 kg	250.00
1000 kg	250.00
500 kg	250.00
300 kg	200.00
250 kg	200.00
200 kg	200.00
150 kg	200.00
100 kg	200.00
50 kg	200.00
30 kg	200.00
25 kg	200.00
20 kg	100.00
15 kg	100.00
10 kg	100.00
5 kg	100.00
3 kg	100.00
2 kg	100.00
1 kg	100.00
500 g. and below	100.00

8(i) Non Automatic Weighing instruments both mechanical and electronics class I & II:

Capacity	Fee (Rs.)
Exceeding 50 t	3000.00
Not exceed 50t but exceed 10t	2000.00
Not exceed 10t but exceed 1t	1000.00
Not exceed 1t but exceed 50kg	500.00
Not exceed 50kg but exceed 10kg	250.00
Not exceed 10kg	200.00

8(ii) Automatic Weighing Instrument:

Capacity	Fee in Rs.
Exceeding 100 t	4000.00
Not exceeding 100t but exceeding 50t	3000.00
Not exceeding 50t but exceeding 10t	2000.00
Not exceeding 10t but exceeding 1t	1000.00
Not exceeding 1t but exceeding 50kg	500.00
Not exceeding 50kg but exceeding 10kg	250.00
Not exceeding 10kg	200.00

9. Volumetric measuring instruments:

(a)	Dispensing pumps each pump	:	Rs.1000.00 per unit
(b)	Totalizing counter	:	Rs. 500.00 per unit
(c)	Other instruments	:	

Capacity	Fee in Rs.
Exceeding 100 litre	Rs. 500 for the 1st 100 liters plus Rs. 250 for every additional 100 liters or part thereof
Not exceeding 100 litre but exceeding 50 litre	500.00
Not exceeding 50 litre but exceeding 20 litre	250.00
Not exceed 20 litre	200.00

10. Flow meters:

Flow rate up to 100 litre/ min.	Rs.2000.00
Above 100 litre/ min upto 500 litre/ min	Rs. 3000.00
Above 500 litre /min.	Rs.5000.00

11. Linear Measuring Instruments:

Taxi, Autoricksha meters	Rs.100.00
Other meters	Rs.50 for the 1st 1000 m. or part there of Plus Rs. 5.00 for every additional 100 m. or part thereof

12. Clinical Thermometer	Rs. 0.50 per unit
13. Water meter	Rs. 25.00 per unit
14. Peg Measure:	
30 ml	50.00
60 ml	50.00
100 ml	50.00

15. CNG Dispensers:	Rs. 1000.00 per unit
16. LPG Dispensers:	Rs. 1000.00 per unit

17. (i) Counter Machines upto capacity 10 Kg.	Rs. 20.00
(ii) Counter Machines above capacity 10 Kg.	Rs. 50.00

Schedule-X
[See rule 19]

Form of appeal against an order of a Legal Metrology Officer/ Controller Legal

Metrology.

1. Name and address of the appellant:
2. No. and date of order of Legal Metrology Officer/ Controller of Legal Metrology against which the appeal is preferred:
3. Whether the appellant desires to be heard in person or through an authorized representative:
4. Grounds of appeal

Schedule-XI

[See rule 20]

Compounding fees for various offences

Sr. No.	Section and nature of offence	Penal Section	Compounding fee
1.	S. 8(3) Use of weight, measure or numeration other than the Standard weight, measure or numeration	25 penalty for use of nonstandard weight or measures.	Rs.2500.00
2.	S.8 (4) Manufacture etc.of weight or measure only in conformity to tandards.	27 Penalty for manufacture etc. or sale of non-standard weight or measure.	Rs.2000.00
3.	S.10 Transaction or dealing or contract in respect of goods etc., by such weight, measure or number as prescribed.	28 Penalty for making any transaction,deal or contract in contravention of the prescribed standards.	Rs. 1000.00
4.	S. 11 Quote or make announcement or issue or exhibit of price list or changing of price only in accordance with standard unit of weight or measure or numeration.	29 Penalty for quoting or publishing, etc., of non – standard units.	Rs.1000.00
5.	S. 12 Demanding or receiving by whatever custom,usage,practice or method any articles thing or service in excess or less than the quantity specified in the contract or agreement.	30 Penalty for transactions in contravention of standard weight or measure.	Rs.1000.00
6.	S. 17 Maintenance, and production of records, registers by manufacturer, dealer or repairer on demand.	31Penalty of nonmaintenance or nonproduction of documents, etc.	Rs.500.00
7.	S.18(1) Compliance of declaration in respect of pre-packaged commodity whether manufactured, packed, sold, imported , istributed,offered, exposed or possessed for sale.	36(1) Penalty for elling,etc., of non-standard packages.	Rs. 2500.00
8.	S.36 (2) Compliance of net quantity – requirement of pre-packaged commodity whether manufactured; imported,packed or manufactured.	36(2) Panalty for manufacturing, acking or importing of packages less in net quantity.	Rs.15000.00
9.	S. 23 Penalty for manufacturing of weight and measure without licence.	45 Penalty for manufacturing of weight and measure without licence.	Rs.5000.00
10.	S. 23 No person shall Manufacture/repair or sell or offer, expose or possess for	46 Penalty for repairing, selling, etc.,of weight and	Rs. 2000.00

	repair or sale, any weight or measure unless he holds a licence issued by the Controller.	measure without licence.	
11.	S. 24 Verification and stamping of weight or measure.	33Penalty for use of unverified weight or measure.	Rs. 2000 to 5000.00
12.	S. 33 Penalty for sale of weight or measure without "verification".	33Penalty for sale of unverified weight and measure.	Rs. 5000.00
13.	S.34 Penalty for sale or delivery of commodities by non-standards weights or measures.	34 Penalty for sale or delivery of commodities, etc., by nonstandard weight or measure.	Rs. 2000.00
14.	S. 35 Penalty for rendering service by nonstandards weight or measure	35Penalty for rendering services by non-standard weight, measure or number.	Rs. 2500.00
15.	S. 47 Penalty for tempering with licence	47 Penalty for tempering with licence.	Rs. 5000.00
16.	S. 53(3) Provision of any rule made under the Act	Violation of provisions of any rule of Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rule, 2011.	Rs. 500.00

By order,
PREM KUMAR,
Principal Secretary(F,CS&CA).

ब अदालत श्री जगदीश जग्गी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मुकदमा नं० : 14/2011

ता० पेशी : 17-11-2011

श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री पृथी सिंह, निवासी गांव मक्कड़, डाकघर नाहलियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

श्रीमती संजू देवी पत्नी श्री पृथी सिंह, निवासी गांव मक्कड़, डाकघर नाहलियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसके पुत्र का नाम साहिल व जन्म तिथि दिनांक 7-4-2009 जो किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाई जा सकी है। जिसे दर्ज करवाने हेतु आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त साहिल का नाम व जन्म तिथि 7-4-2009 को ग्राम पंचायत नाहलियां के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-11-11 को इस अदालत में पेश कर सकता है। बसूरत दीगर प्रकरण पर कार्यवाही नियमानुसार अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-10-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

जगदीश जग्गी,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।